प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक निर्देश क्रमांक **- 2/2024**

छत्तीसगढ़ राज्य का निर्देश, थाना उरला, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

--- आवेदक

बनाम

पंचराम उर्फ मन्नू गेन्द्रे, आत्मज प्रेमलाल गेन्द्रे, आयु लगभग 35 वर्ष,निवासी साकिन-हसदा, थाना बेरला, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरदाता

आवेदक/राज्य की ओर से- श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

उत्तरदाता की ओर से- श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अरविंद पंडा अधिवक्ता

दांडिक अपील क्रमांक**- 151/2025**

पंचराम उर्फ मन्नू गेंद्रे, आत्मज प्रेमलाल गेंद्रे, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी हसदा, थाना-बेरला,जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना उरला, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

...... उत्तरदाता

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है।)

अपीलार्थी की ओर से :- श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अरविंद पांडा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/राज्य की ओर से :-श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश</u>

<u>माननीय श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश</u>

<u>निर्णय पीठ से पारित</u>

<u>रविन्द्र कुमार अग्रवाल न्यायाधीश के अनुसार,</u>

19/02/2025

1. दण्डिक निर्देश क्रमांक-02/2024 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366(1) (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 407(1)) के तहत निर्देश है जो विद्वान सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा अभियुक्त पंचराम उर्फ मन्नू गेंद्रे की मृत्युदंड की सजा की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया है, अभियुक्त पंचराम उर्फ मन्नू गेंद्रे को विद्वान सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक-180/2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 363,364 तथा 302 के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया है तथा 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रुपये का जुर्माना, 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माने के व्यतिक्रम पर 2-2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा मृत्युदंड (उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किये जाने के अध्याधीन) तथा 1000 रुपये का जुर्माना, जुर्माने के व्यतिक्रम पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंडादेश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दांडिक अपील क्रमांक-151/2025 अपीलार्थी/अभियुक्त पंचराम उर्फ मन्नू गेंद्रे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 415(2) के तहत विद्वान सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक-180/2022 में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय दिनांक 28/11/2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभियुक्त पंचराम उर्फ मन्नू गेंद्रे को भारतीय दंड संहिता की धारा 363,364 तथा 302 के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया है तथा 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रुपये का जुर्माना,10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माने के व्यतिक्रम पर 2-2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा मृत्युदंड (उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किये जाने के अध्याधीन) तथा 1000 रुपये का जुर्माना, जुर्माने के व्यतिक्रम पर 3 माह सश्रम कारावास का अतिरिक्त कारावास का दंडादेश दिया गया है ।

3. दांडिक निर्देश और दांडिक अपील दोनों एक ही अपराध क्रमांक, एक ही सत्र प्रकरण और समान निर्णय से उदभूत हुए हैं। इसलिए, दोनों को एक साथ सुना और निर्णित किया जा रहा है।

4. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.04.2022 को रात्रि लगभग 10:00 बजे मृतक की मां श्रीमती पुष्पा चेतन/अ.सा-1 ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पड़ोसी पंचराम सतनामी उर्फ मन्नू उसके दो नाबालिग बेटों दिव्यांशु और हर्ष कुमार चेतन को प्रातः लगभग 10:00 बजे कहीं घुमाने के लिए ले गया था तथा कुछ समय पश्चात उसने दिव्यांशु को उसके घर छोड़ दिया तथा हर्ष कुमार चेतन को पुनः अपने साथ ले गया, परंतु अभी तक घर वापस नहीं लौटा है। आस-पास के स्थानों पर खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। उसने अपने नाबालिग बेटे के शारीरिक बनावट और पहनावे के बारे में पुलिस को बताया। श्रीमती पुष्पा चेतन/अ.सा-1 की रिपोर्ट थाना उरला, जिला रायपुर में रोजनामचा सन्हा क्रमांक-47, दिनांक 05.04.2022 के रूप में अभिलिखित किया गया, जो प्रदर्श पी-33 है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन/प्रदर्श पी-34 भी थाना उरला, जिला रायपुर में अपराध क्रमांक-140/2022 के रूप में अपीलार्थी/अभियुक्त पंचराम सतनामी उर्फ मन्नू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विवेचना के दौरान अपीलार्थी/आरोपी का मोबाइल नंबर एकत्र कर उसे निगरानी पर रखा गया तथा उसके टावर लोकेशन की जांच करने के बाद अंततः अपीलार्थी/आरोपी का पता लगाया गया तथा उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे नागपुर, महाराष्ट्र में पाया गया तथा दिनांक 07.04.2022 को पुलिस नागपुर से गिरफ्तार कर उसे उरला थाना, रायपुर ले गई है। अपीलार्थी/अभियुक्त से पूछताछ किया गया तथा दिनांक 08.04.2022 को प्रातः 10:00 बजे गवाह आशीष यादव एवं जोहन दिनकर की उपस्थिति में उसका मेमोरेंडम कथन/प्रदर्श पी-8 अभिलिखित किया गया। अपने मेमोरेंडम कथन में उसने पूरी घटना का खुलासा किया तथा यह भी बताया कि उसने मृतक को नेवनारा एवं अकोली खार के पास जला दिया था तथा उसने अपनी मोटरसाइकिल किरण ऑटो, भिलाई को बेच दिया था। उसने अपनी कमीज को अपने थैले में रखा था, और वह अपनी माँ का मोबाइल सिम नंबर चला रहा था। उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस उस स्थान की ओर गई जहां अपीलार्थी/आरोपी पर मृतक की हत्या

कारित करने का आरोप था। पुलिस ने ज्ञापन/प्रदर्श पी-36 के माध्यम से घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। दिनांक 08.04.2022 को प्रातः करीब 10:30 बजे अपीलार्थी/अभियुक्त एवं गवाहों के साथ जब पुलिस मौके पर पहुंची तब अपीलार्थी की निशानदेही पर मृतक का अधजला शव बरामद हुआ, जिसे जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-35 के तहत जब्त किया गया। मृतक के पिता जयेन्द्र चेतन/अ.सा-2 ने मृतक के अधजले कपड़े, चेहरे एवं बालों के आधार पर शव की पहचान कर अपने पुत्र हर्ष चेतन का शव होना बताया तथा गवाहों की उपस्थिति में पहचान पत्रक/प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया।

6. मृत्यु समीक्षा के गवाहों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा गवाहों की उपस्थिति में दिनांक 08.04.2022 को मृतक हर्ष चेतन, उम्र लगभग 4 वर्ष का मृत्यु समीक्षा/प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया तत्पश्चात आरक्षक क्रमांक 102 अभिषेक सिंह के माध्यम से शव को पोस्टमार्टम हेतु अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर भेजा गया। मृतक के शव का परीक्षण डा. एम.निराला/अ.सा-12 द्वारा किया गया, जिन्होंने शव परीक्षण के पश्चात रिपोर्ट/प्रदर्श पी-5 दिया। शव परीक्षण करते समय डॉक्टर ने देखा कि सिर के बाईं ओर, चेहरे, छाती के बाईं ओर और पेट के बाईं ओर की त्वचा गायब थी। दोनों हाथों और दोनों पैरों पर सूखी जलन थी। पूरे शरीर पर 1.5 सेमी के कीड़े थे त्वचा छिलके के रूप में निकला हुआ था। पूरे शरीर में दूसरे से तीसरे डिग्री का जलन मौजूद था, तथा कुल जला हुआ सतह क्षेत्र 100% था। शव परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मृत्यु का कारण जलने से उत्पन्न चोट है, अंतिम मत विसरा रिपोर्ट के आधार पर दिया जायेगा और पुलिस द्वारा बताये गये परिस्थितिजन्य साक्ष्य, के आधार पर, मृत्यु शव परीक्षण किये जाने से एक सप्ताह पूर्व की थी। पुलिस द्वारा मृतक के शव का विसरा जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-16 के तहत जब्त किया गया।

7. दिनांक 08.04.2022 को मौके से जली हुई घास, मिट्टी, सादी घास, एक जली हुई माचिस, पेट्रोल की गंध वाला एक प्लास्टिक कंटेनर और उसका ढक्कन तथा आधा जला हुआ तौलिया जब्त किया गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा/प्रदर्श पी-46 तैयार किया गया तथा पटवारी द्वारा प्रदर्श पी-49 तैयार किया गया। किरण साहू से एक मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी-04/डीएस-2363 है, उसकी आर.सी बुक, अपीलार्थी पंचराम सतनामी का आधार कार्ड तथा मोटरसाइकिल के बीमा का दस्तावेज जब्त किया गया है, जिसे अपीलार्थी ने जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-7 के तहत मोटरसाइकिल बेची थी। किरण साहू की दुकान में लगे सीसीटीवी के डीवीआर से सीसीटीवी फुटेज को भावेश राव वाडेकर के माध्यम से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पेन ड्राइव में लिया गया तथा उक्त पेन ड्राइव को दिनांक 19.04.2022 को जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-11 के माध्यम से जब्त किया गया। राजेश यादव, वार्ड क्रमांक 4, उरला के घर में लगे सीसीटीवी के डीवीआर से एक अन्य सीसीटीवी फुटेज को पेन ड्राइव में लिया गया तथा जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-12 के माध्यम से जब्त किया गया। उक्त सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि अपीलार्थी मृतक को अपनी मोटरसाइकिल से अपने साथ ले जा रहा है। टेकजोन इंफोसिस्टम्स, पंडरी, रायपुर से धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है, जो प्रदर्श पी-12 ए है। भावेश राव वाडेकर उक्त टेकजोन इंफोसिस्टम्स, रायपुर के मालिक हैं, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज को पेन ड्राइव में लिया था।

8. श्रीमती लक्ष्मी कोशले से ओप्पो मोबाइल फोन, जिसमे आइडिया कंपनी का सिम था जिसका नंबर 7049257021 था, एक अन्य नोकिया मोबाइल फोन जिसमे आइडिया कंपनी का सिम था जिसका नंबर 7440717348 था, जिसे जब्ती पत्रक /प्रदर्श पी-13 के तहत जब्त किया गया। श्रीमती लक्ष्मी कोशले अपीलार्थी- पंचराम गेन्द्रे की बहन हैं और उक्त दोनों मोबाइल फोन का उपयोग उनके और उनके बेटे खुमान द्वारा किया गया था, जिसमें दिनांक 05.04.2022 और दिनांक 07.04.2022 को अपीलार्थी ने अपने मोबाइल फोन (जो उनकी मां के नाम पर पंजीकृत है) जिसका नंबर 8435934997 था,से कॉल किया था। एक अन्य मोबाइल फोन जिसका नंबर 9753341814 था, राजा टंडन से जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-17 के तहत जब्त किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. मृतक के माता-पिता के रक्त के नमूने डी.एन.ए परीक्षण रिपोर्ट के लिए एकत्र किया गया, और उन्हें राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर, की डी.एन.ए इकाई को भेजा गया था, जहां से डी.एन.ए रिपोर्ट/प्रदर्श पी-22 प्राप्त हुआ। डी.एन.ए रिपोर्ट के अनुसार, जयेंद्र चेतन और श्रीमती पुष्पा चेतन मृतक हर्ष चेतन के नैसर्गिक माता-पिता पाए गए। शव का विसरा, जिसे पुलिस ने जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-16 के माध्यम से जब्त किया था, को भी रासायनिक परीक्षण के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया, जहां से विसरा रिपोर्ट/प्रदर्श पी-28 प्राप्त हुआ और मृतक के विसरा में कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया। विसरा रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर से ज्ञापन/प्रदर्श पी-31 के माध्यम से क्वेरी किया गया, जिसका उत्तर डॉ.एम.निराला/अ.सा-12 द्वारा क्वेरी रिपोर्ट/प्रदर्श पी-15 के माध्यम से दिया गया तथा बताया गया कि चूंकि मृतक के विसरा में कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया तथा उसका पूरा शरीर जला हुआ था। अतः मृतक की मृत्यु जलने के कारण हुई तथा चूंकि आवेदन में उल्लेख किया गया है

कि दिनांक 05.04.2022 को प्रातः लगभग 10:00 बजे अपीलार्थी- पंचराम गेंद्रे उर्फ मन्नू नाबालिग हर्ष चेतन को ग्राम नेवनारा एवं अकोली खार ले गया तथा पेट्रोल डालकर उसकी हत्या कर दिया, अतः परिस्थितियों के आधार पर मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक प्रतीत होती है।

10. दिनांक 08.04.2022 को प्रातः लगभग 11:30 बजे देहाती मर्ग सूचना/प्रदर्श पी-1 दर्ज किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 08.04.2022 को गिरफ्तार किया गया तथा साक्षियों के समक्ष उसका मेमोरेंडम कथन/प्रदर्श पी-8 दर्ज किया गया। उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर पेट्रोल की गंध वाली एक फुल शर्ट, एक काले रंग का मोबाईल जिसमें दो सिम कार्ड जिसका नंबर 8435934997 तथा 7415486855 था तथा नगद 10,150/- रूपये को जप्ती पत्रक/प्रदर्श पी-9 के माध्यम से जप्त किया गया। जली हुई घास व मिट्टी, सादी घास व मिट्टी, जली हुई माचिस व प्लास्टिक कन्टेनर, अपीलार्थी से जप्त किया गया आधा जला हुआ तौलिया तथा एक फुल शर्ट को रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, भेजा गया, जहां से रिपोर्ट/प्रदर्श पी-25 प्राप्त हुआ तथा एक प्लास्टिक कन्टेनर व आधा जला हुआ तौलिया (आर्टिकल 'डी' व 'ई') में पेट्रोल के अवशेष पाये गये, जबकि अन्य वस्तुओं में पेट्रोल के अवशेष नहीं थे। अपीलार्थी द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर 8435934997 की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी पुलिस द्वारा प्रदर्श पी-50 के माध्यम से प्राप्त किया गया। मृतक का फोटो भी लिया गया है,जो आर्टिकल '4' है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गये। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मृतक के भाई दिव्यांश (प्रदर्श पी-51) का बयान भी दर्ज किया गया और सामान्य विवेचना पूर्ण होने के बाद अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364 और 302 के तहत अपराध के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को उपार्पित किया गया और इसे विचारण के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को स्थानांतरित किया गया।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363,364 और 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किया। अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक किया और विचारण चाहा ।

13. अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों का परीक्षण किया तथा प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-51 तक 51 दस्तावेजों पर

भरोसा जताया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थी/अभियुक्त का बयान भी दर्ज किया गया है, जिसमें उसने उसके विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया है, खुद को निर्दोष बताया तथा कहा कि उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है। उसने आगे कहा है कि वह दोनों बच्चों को नाश्ता कराने के लिए ले गया था तथा उसके बाद वह उन्हें उनके घर छोड़ आया, लेकिन उस समय उनका घर बंद था। उनकी मां ने उन्हें डंडे से पीटा था तथा उस समय उसका देवर और चाचा भी वहां मौजूद थे।

14. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया है तथा उसे निर्णय के पहले भाग में उल्लिखित दंडादेश दिया, इसलिए मृत्युदंड की पुष्टि के लिये निर्देश साथ ही अपीलार्थी को दिए गये दोषसिद्धि तथा दंडादेश के विरुद्ध उसके द्वारा अपील प्रस्तुत किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. दांडिक अपील क्रमांक-151/2025 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में तात्विक लोप तथा विरोधाभास हैं, जिन्हें अपीलार्थी को मृत्युदंड के अपराध में दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तथा अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, लेकिन परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्राप्त सीसीटीवी फुटेज स्वयं संदिग्ध है क्योंकि यह दर्शाता है कि अपीलार्थी दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया और कुछ समय बाद उन्हें उनके घर में छोड़ दिया और ऐसा कोई फुटेज नहीं है कि अपीलार्थी मृतक को फिर से अकेले अपने साथ ले गया। यह केवल अनुमान और संयोग और काल्पनिक आरोप है कि अपीलार्थी मृतक को ले गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत साबित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मृतक की हत्या करने का हेतुक भी साबित नहीं कर पाया है। शव एक खुले स्थान पर पाया गया है। अपीलार्थी की शर्ट पर पेट्रोल के कोई अवशेष नहीं पाया गया हैं। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक की हत्या के अपराध में अपीलार्थी को दोषी साबित करने के लिये मोबाइल कॉल विवरण पर्याप्त नहीं हैं। अपीलार्थी से की गई कथित जब्ती के साथ-साथ मेमोरेंडम कथन भी साबित नहीं हुआ है क्योंकि गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है। अपीलार्थी का आचरण भी असामान्य नहीं था क्योंकि वह नौकरी की तलाश में नागपुर गया था और पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर नागपुर से

गिरफ्तार किया था, इसलिए परिस्थितियों की श्रृंखला से कई कड़ियाँ गायब हैं और अपीलार्थी दोषमुक्त किये जाने का हकदार है। उन्होने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए बाध्य था, जब अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में विफल रहा, तब वह इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता कि अभियुक्त अपने बचाव की संभावना नहीं बना पाया है। यह सुस्थापित है कि अभियोजन पक्ष को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। उन्होने **कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 4 एस.सी.सी 715** के निर्णय पर भरोसा जताया है। उन्होने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यदि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या किया भी है, तब भी उसके द्वारा किया गया अपराध विरलतम से विरल की श्रेणी में नहीं आता है और उसे मृत्युदंड की सजा नहीं दिया जा सकता है ।

16. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है परन्तु तुच्छ लोप और विरोधाभासों को छोड़कर,अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, जो अपीलार्थी को विचाराधीन अपराध में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला को ठोस और पुख्ता सबूतों के माध्यम से साबित कर दिया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी अपराध का अपराधी नहीं है। घटना दिनांक को अपीलार्थी मृतक को अपनी मोटरसाइकिल पर अकेले ले गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अपीलार्थी ने मृतक की हत्या नेवनारा और अकोली खार गांव के पास करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल किरण साहू नामक व्यक्ति को बेच दी और नागपुर चला गया। वह नया मोबाइल फोन खरीदकर अपनी मां के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा था और उसे नागपुर से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर मृतक का शव नेवनारा और अकोली खार गांव से बरामद किया गया। अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित किया है कि मृतक की मां पर अपीलार्थी की बुरी नजर थी, लेकिन उसकी मां की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो उसके बेटे की हत्या का अपराध करने का कारण बना। शव परीक्षण प्रतिवेदन से पता चला है कि जलने की चोट मृत्यु पूर्व की थी, जो खुद ही दर्शाता है कि अपीलार्थी ने जो अपराध किया है, वह कितना क्रूर है, जिसके लिए अपीलार्थी को मृत्युदंड दिया जाना ही उचित सजा है, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि और दंडादेश के अपने निर्णय में सही माना है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दोषसिद्धि एवं दंडादेश का निर्णय साक्ष्यों के समुचित विवेचन एवं अपराध की गम्भीरता पर आधारित है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि जिस तरह से अपीलार्थी ने नाबालिग लड़के की हत्या की है, उसे मृत्यु पूर्व जलाकर मार डाला है,उसे विरलतम से विरल मामला कहा जा सकता है, अपीलार्थी के सुधार की कोई संभावना नहीं है, वह समाज पर बोझ है, इसलिए आजीवन कारावास या अन्य दंडादेश पूर्ण रूप से अपर्याप्त है, केवल मृत्युदंड ही उचित सजा होगी, जो उसे सही रूप से दी गई है। उन्होंने **बलवान सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, (2019) 7 एस.सी.सी 781** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

18. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और साथ ही अत्यंत सावधानी के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन भी किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. मृतक का शव नेवनारा एवं अकोली खार के मध्य खेत में जली हुई अवस्था में पाया गया, यद्यपि मृतक की मृत्यु प्रथम दृष्टया अस्वाभाविक प्रतीत होती है, तथापि उन साक्ष्यों पर विचार करना आवश्यक है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि मृतक की मृत्यु मृत्युपूर्व जलने के कारण हुई है। मृतक की मृत्यु की प्रकृति निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गवाह मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सक है। मृतक का शव परीक्षण करने वाले डॉ. एम. निराला (अ.सा-12) ने अपने साक्ष्य में बताया कि दिनांक 08.04.2022 को मृतक को शव परीक्षण हेतु उनके समक्ष लाया गया था तथा शव की पहचान जयेन्द्र चेतन, देवेन्द्र चेतन एवं आरक्षक अभिषेक सिंह द्वारा किया गया था। बाह्य परीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि मृत बालक का शव काले पॉलीथीन और सफेद कपड़े से ढका हुआ था, शरीर से दुर्गंध आ रही थी, शरीर जलने और सड़ने के कारण काला पड़ गया था, सिर, चेहरे, छाती और पेट की बाईं ओर से त्वचा गायब थी, दोनों हाथों और पैरों पर दोनों तरफ सूखी जलन थी, पूरे शरीर पर 1.5 सेमी कीड़े थे, त्वचा पर पिलिंग थी, पूरा शरीर द्वितीय और तृतीय डिग्री जला हुआ था और कुल जला सतह क्षेत्र 100% था। आंतरिक परीक्षण करने पर खोपड़ी की हड्डी और मस्तिष्क की झिल्ली स्वस्थ्य था। डायफ्राम, पसलियां और श्वासनली स्वस्थ्य था, श्वासनली में शूट कण मौजूद थे और फेफड़ों के दोनों भाग स्वस्थ्य थे। चूंकि श्वासनली में शूट कण मौजूद होते हैं, इसलिए जलने की चोटें मृत्यु पूर्व की थी हैं। विसरा को रासायनिक परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया तथा यह मत दिया गया कि (i) मृत्यु का कारण जलने की चोट हैं, (ii) विसरा रिपोर्ट तथा पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए परिस्थितिजन्य

साक्ष्य के बाद अंतिम मत दिया जायेगा, (iii) मृत्यु की अवधि शव परीक्षण किये जाने के एक सप्ताह पूर्व का था ।

20. जब विसरा रिपोर्ट/प्रदर्श पी-21 पुलिस को प्राप्त हुआ, तब उन्होंने मृत्यु की प्रकृति के संबंध में डॉक्टर से क्वेरी किया, तथा डॉक्टर ने अपनी क्वेरी रिपोर्ट/प्रदर्श पी-15 के माध्यम से यह मत दिया कि मृतक के विसरा में कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया तथा मृतक का पूरा शरीर जला हुआ था, अतः मृतक की मृत्यु जलने के कारण हुआ था तथा परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि उसकी मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी। अपने प्रतिपरीक्षण में यद्यपि उन्होंने कहा कि वे यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि मृतक के शरीर पर जला हुआ भाग 100% है, लेकिन इससे उनकी विश्वसनीयता और शव परीक्षण प्रतिवेदन की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ता कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक नहीं थी, बल्कि किसी अन्य कारण से हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. मृतक के पिता जयेन्द्र चेतन/अ.सा-2 द्वारा शव की विधिवत पहचान किया गया, उन्होंने मृतक के चेहरे, कपड़ों और बालों से शव की पहचान किया तथा पहचान पत्रक/प्रदर्श-4 को प्रमाणित किया। डी.एन.ए रिपोर्ट/प्रदर्श पी-22 से प्रमाणित हुआ है कि शिकायतकर्ता पुष्पा चेतन/अ.सा-1 और जयेन्द्र चेतन/अ.सा-2 मृतक हर्ष चेतन, जिसका शव मौके पर मिला था तथा जिसकी मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की साबित हुई थी, के नैसर्गिक माता-पिता है। अपीलार्थी/आरोपी द्वारा इस बात से भी विशेष रूप से इनकार नहीं किया गया कि मौके पर मिला शव हर्ष चेतन का नहीं है तथा किसी अन्य का है।

22. इसके अलावा, देहाती मर्ग सूचना/प्रदर्श पी-1, मृत्यु समीक्षा/प्रदर्श पी-3, शव शिनाख्त पंचनामा/प्रदर्श पी-4 से अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि मृतक हर्ष चेतन दिनांक 05.04.2022 से लापता था और जिसका शव दिनांक 08.04.2022 को नेवनारा और अकोली खार से अर्ध जली हुई अवस्था में मिला था जिसकी मृत्यु हत्यात्मक होना पाया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित रूप से विवेचन किया है और माना है कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी, जिस पर हम भी अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।

23. अभियोजन पक्ष का मामला जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य और परिस्थितियों की श्रृंखला के आधार पर इस प्रकार है; **(i)** अंतिम बार एक साथ देखा गया, **(ii)** अपीलार्थी का आचरण, **(iii)** आरोपी व्यक्ति की निशानदेही पर शव की बरामदगी, **(iv)** मोबाइल फोन नंबरों का कॉल विवरण, **(v)** हेतुक, **(vi)** सीसीटीवी फुटेज, और

(vii) दंड प्रक्रिया संहिता की संहिता 313 के कथन में उसके विरुद्ध प्रस्तुत अभियोगात्मक परिस्थितियों का स्पष्टीकरण न देना।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मधु बनाम केरल राज्य, 2012 (2) एस.सी.सी 399** के मामले में पैराग्राफ 5 में अभिनिर्धारित किया है कि:

> "5. परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी और सतर्कता न्यायिक दृष्टान्त से मान्यता प्राप्त है। केवल बहुत उच्च क्रम के परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही आपराधिक अभियोजन में सबूत की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में अभियोजन पक्ष को घटनाओं की एक पूरी अखंड श्रृंखला स्थापित करनी चाहिए जो इस निर्धारण की ओर ले जाए कि साक्ष्य से निकाला जा रहा अनुमान ही एकमात्र अवश्यंभावी निष्कर्ष है। पुष्ट करने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में, आरोपी संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. **दिगंबर वैष्णव और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2019 (4) एस.सी.सी 522** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

> "14. आपराधिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि सबूत का भार पूर्ण रूप से अभियोजन पक्ष पर होता है और सामान्य भार कभी नहीं बदलता है। अनुमानों और अटकलों या संदेह के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। मजबूत संदेह, मजबूत संयोग और गंभीर संदेह कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकते। बहुत मजबूत संदेह और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अत्यधिक संदिग्ध कारकों के अस्तित्व का हवाला देकर अभियोजन पक्ष का दायित्व समाप्त नहीं किया जा सकता है और न ही बचाव का झूठापन उस सबूत का स्थान ले सकता है जिसे अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना होगा, हालांकि यदि अन्य परिस्थितियां निश्चित रूप से दोष की ओर इशारा करती हैं, तब बचाव पक्ष द्वारा झूठी दलील को अधिक से अधिक एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है।
>
> 15. इस न्यायालय ने **जाहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य, (1991) 3 एस.सी.सी 27** में अभिनिर्धारित किया है कि भले ही अपराध

चौंकाने वाला हो, लेकिन जहाँ तक कानूनी सबूत का सवाल है, अपराध की गंभीरता अपने आप में भारी नहीं हो सकती। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अत्यधिक निर्भर मामलों में, हमेशा यह खतरा रहता है कि अनुमान या संदेह कानूनी सबूत की जगह ले सकता है। न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमान और संदेह कानूनी सबूत की जगह न लें। न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और पूरी श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषता की उचित संभावना को खारिज किया जा सके।

16. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i.) जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

ii.) उन परिस्थितियों में अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट संकेत करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए; और

iii.) परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाए तो ऐसी पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी और ने नहीं, और यह अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में भी असमर्थ होना चाहिए।

17. वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य, 1993 सप्ली. (3) एस.सी.सी 745 में, इस न्यायालय ने माना है कि संदेह सबूत का विकल्प नहीं है। 'सही हो सकता है' और 'सही होना चाहिये' के बीच बहुत अंतर है और अभियोजन पक्ष को किसी भी प्रकार से अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए ।

18. **सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य, (2013) 12 एस.सी.सी 406** में, इस न्यायालय ने 'युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत' और 'संदेह' के बीच अंतर की जांच करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता, और जो "साबित हो सकता है" और जो "साबित हो जाएगा" के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आपराधिक मुकदमे में, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता और न ही उसे अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच मानसिक दूरी बहुत बड़ी है, और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है। आपराधिक मामले में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि मात्र अनुमान या संदेह कानूनी सबूत की जगह न लें। "सही हो सकता है" और "सही होना चाहिये" इससे पहले कि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाए, सत्य के बीच बड़े अंतर को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य से आच्छादित होना चाहिए, और आधारभूत तथा स्वर्णिम सिद्धांतो को लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, "सही हो सकता है" और "सही होना चाहिए" के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को मात्र अनुमानों और निश्चित निष्कर्षों के बीच महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखनी चाहिए, निष्पक्ष न्यायिक जांच की कसौटी पर, मामले की सभी विशेषताओं की पूरी और व्यापक सराहना के साथ-साथ अभिलेख पर लाए गए सबूतों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय की विफलता से बचा जाए, और यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि युक्तियुक्त संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभावित संदेह नहीं है, बल्कि एक युक्तियुक्त संदेह है जो तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित है"

26. **नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य, 2021 (10) एस.सी.सी 725** के मामले में पैराग्राफ 17 और 18 में शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 (4) एस.सी.सी 116 के मामले में बताए गए स्वर्णिम सिद्धांतों का जवाब देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है कि:

"17. चूंकि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए हम इस विषय पर इस न्यायालय के एक प्रमुख निर्णय का उपयोगी संदर्भ दे सकते हैं। शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 के मामले में, पैराग्राफ 153 में, इस न्यायालय ने पांच स्वर्णिम सिद्धांत (पंचशील) प्रतिपादित किये हैं जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण पर लागू होते है। पैराग्राफ 153 इस प्रकार है:-

"153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण करने पर पता चलता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्णतः स्थापित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियों को 'स्थापित किया जाना चाहिए' और 'स्थापित किया जा सकता है' नहीं।'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है

जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में माना था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:
19.........निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, तभी न्यायालय उसे दोषी ठहरा सकता है और 'साबित किया जा सकता है' तथा 'साबित किया जाना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, अभियुक्त के दोषी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,
(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा। (जोर दिया गया)।

18. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 158 से 160 भी सुसंगत हैं, जो इस प्रकार हैं:

"158. यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा अपने तर्क के समर्थन में बहुत ही सशक्त तर्क दिया गया है, जो देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर आधारित है कि यदि बचाव पक्ष का मामला झूठा है तो यह अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी का गठन करेगा। हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा पूर्वोक्त मामले की दी गई व्याख्या से सहमत नहीं हैं, जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है:

9.......लेकिन इस तरह के मामले में जहां ऊपर शुरू की गई विभिन्न कड़ियों को संतोषजनक ढंग से स्थापित किया गया है और परिस्थितियां अपीलार्थी को संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं, उचित निश्चितता के साथ और समय और स्थिति के संबंध में मृतक के निकटता के साथ,......... स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति या गलत स्पष्टीकरण अपने आप में एक अतिरिक्त कड़ी होगी जो श्रृंखला को पूरा करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

159. यह देखा जाएगा कि यह न्यायालय ने स्पष्टीकरण के अभाव या झूठे स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह माना कि यह श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी होगी, लेकिन इन टिप्पणियों को इस न्यायालय द्वारा पहले कही गई बातों के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात झूठे स्पष्टीकरण को अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल करने से पहले, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियाँ संतोषजनक रूप से साबित हो गई हैं,

(2) उक्त परिस्थिति उचित निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है, और

(3) परिस्थिति समय और स्थिति के निकट है।

160. यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, तभी न्यायालय झूठे स्पष्टीकरण या झूठे बचाव को न्यायालय को आश्वासन देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है। मामले के इस पहलू की जांच शंकरलाल मामले में की गई थी, जहां इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की थी:

30.........इसके अलावा, बचाव का झूठापन उन तथ्यों के सबूत का स्थान नहीं ले सकता है, जिन्हें अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना होता है। झूठी दलील को सबसे अच्छे रूप में एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है, यदि अन्य परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती हैं। "(जोर दिया गया)"

27. **सुरेंद्र कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 (20) एस.सी.सी 430** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 और 12 में अभिनिर्धारित किया है कि:-

> "11. चूंकि अपीलार्थीगण के खिलाफ मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य केवल अपराध के निष्कर्ष पर ले जाते हैं और सभी विपरीत परिकल्पनाओं को बाहर करते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से समय की कसौटी पर आधारित है जैसा कि हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1 में न्यायमूर्ति महाजन ने निम्नांकित लिखा है:
>
> "10...........यह याद रखना उचित है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के होते हैं, वहां जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, तथा इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए तथा वे ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक परिकल्पना को बाहर रखा जा सके, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित करने का प्रस्ताव है।" दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह ऐसा होना चाहिए जिससे यह पता चले कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।
>
> 12. आपराधिक मामलों में आवश्यक प्रकृति,चरित्र और आवश्यक सबूतों पर शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 में फजल अली जे. द्वारा विस्तार से चर्चा किया गया था और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रतिपादित विधि को बाद के कई निर्णयों में अनुमोदित किया गया था और हाल ही में कृष्ण मुरारी जे. द्वारा शैलेंद्र 1 ए.आई.आर 1952 एस.सी 343 2 (1984) 4 एस.सी.सी 116 राजदेव पासवान और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 3 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए राय लिखते हुए इसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोहराया गया था, जहां इसे संक्षेप में निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया था:

"17. अब यह सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में न्यायालयों को ईमानदारी से काम करना चाहिए और दोषसिद्धि तभी दर्ज की जानी चाहिए जब श्रृंखला की सभी कड़ियाँ पूरी हों और अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों। प्रत्येक कड़ी जब तक एक साथ जुड़कर श्रृंखला न बना ले, संदेह पैदा कर सकती है, लेकिन वह अपने आप में सबूत की जगह नहीं ले सकती और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

28. वर्तमान मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। **रविन्द्र सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2022 (7) एस.सी.सी 581** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नानुसार माना है: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ए-2 की दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इसलिए, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण, ठोस और सुसंगत हो। इस न्यायालय ने लगातार कई मामलों [देखें हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर (1977 एस.सी 1063); एराडू और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य (ए.आई.आर 1956 एस.सी 316); ईरभद्रप्पा उर्फ़ कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (ए.आई.आर 1983 एस.सी 446); उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी और अन्य (ए.आई.आर 1985 एस.सी 1224); बलविंदर सिंह उर्फ़ दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (ए.आई.आर 1987 एस.सी 350); अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए.आई.आर 1989 एस.सी 1890)] में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहां दोष का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषता से असंगत पाई जाएं। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोष के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि

उन परिस्थितियों से अनुमान लगाए जाने वाले प्रमुख तथ्य के साथ उनका निकट संबंध है।

10.1. भगत राम बनाम पंजाब राज्य (ए.आई.आर 1954 एस.सी 621) में यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहां परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता को नकार दे और अपराध को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे ।

10.2. हम सी. चेंगा रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996) 10 एस.सी.सी 193 में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें यह देखा गया है कि:

"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, सुस्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों की प्रकृति निर्णायक होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा साबित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए......"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, हमने वर्तमान मामले में दिखाई देने वाले साक्ष्य और परिस्थितियों का परीक्षण किया।

अंतिम बार एक साथ देखा गया:

29. अपीलार्थी को मृतक के साथ अंतिम बार देखा जाना अ.स.-1/पुष्पा चेतन (मृतक की मां), अ.सा-3/भारती यादव, अ.सा-4/जोहन दिनकर, अ.सा-7/श्रीमती शांति यादव, अ.सा-20/दिव्यांश चेतन (मृतक का भाई) द्वारा सिद्ध किया गया है।

30. अ.सा-1/पुष्पा चेतन ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अपीलार्थी उसका पड़ोसी है चूंकि वे एक-दूसरे को जानते थे, इसलिए अपीलार्थी उसके बेटों को जगह-जगह

घुमाने ले जाता था। दिनांक 05.04.2022 को भी लगभग 10:00 बजे, वह उसके दोनों बच्चों को नाश्ता कराने के लिए ले गया तथा कुछ देर बाद वे वापस आ गए। उसका बड़ा बेटा मोटरसाइकिल से उतर गया, लेकिन उसका छोटा बेटा फिर से घूमने जाने की जिद करने लगा, जिसके लिए उसने उसे डांटा, लेकिन अपीलार्थी उसके छोटे बेटे को अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया। वह नहाने के लिए तालाब पर गई थी, जब काफी समय बाद भी अपीलार्थी वापस नहीं आया, तो उसने उसे खोजना शुरू किया तथा अपने पड़ोसियों से पूछा, फिर वह अपने मकान मालिक तथा देवर के साथ उरला थाने गई तथा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग 3 दिन बाद उसके बेटे का शव जली हुई हालत में खेत में मिला। प्रतिपरीक्षण में उसने अपीलार्थी द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार किया कि अपीलार्थी उसके नाबालिग बेटे को लगभग 10:00 बजे ले गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं आया। उसे नहीं पता कि अपीलार्थी उसके बेटे को कहाँ ले गया है। उसके प्रतिपरीक्षण से बचाव पक्ष कोई भी तथ्य सामने नहीं ला सका, जिससे उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसने अपीलार्थी को उसके बेटे/मृतक को अपने साथ ले जाते नहीं देखा था। वह स्वाभाविक गवाह है और उसकी मौजूदगी में अपीलार्थी उसके छोटे बेटे को अपने साथ ले गया है। उसके द्वारा बताये गये अंतिम बार साथ साथ देखे जाने का सिद्धांत पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. अ.सा-3/भारती यादव, जो उसी इलाके की निवासी है, जहां अपीलार्थी और मृतक रहते थे। उसने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने देखा था कि अपीलार्थी मृतक को अपने साथ ले गया था और अगले दिन उसे अखबार से पता चला कि अपीलार्थी ने उसकी हत्या कर दी है। उसने अपने घर में लगे कैमरे में दोनों को एक साथ देखा था, जिसमें यह रिकॉर्ड हुआ है कि अपीलार्थी मृतक को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जा रहा है। प्रतिपरीक्षण में, बचाव पक्ष द्वारा फिर से यह सुझाव दिया गया कि उसने उसके घर में लगे कैमरे में दोनों को एक साथ देखा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थी उसका पड़ोसी है और वह अपीलार्थी से अच्छी तरह परिचित है। उसने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि उसने अपने पुलिस बयान में यह खुलासा नहीं किया था कि उसने अपीलार्थी को मृतक को उसकी मोटरसाइकिल पर ले जाते देखा था। इस गवाह के साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत विधिवत् प्रमाणित हो गया है।

32. अ.सा-4/जोहन दिनकर गवाह है, जिसने राजेश यादव (अ.सा -3/भारती यादव के पति) के घर में लगे सीसीटीवी के डीवीआर से बरामद सीसीटीवी फुटेज

को देखा है। उसने अपने साक्ष्य के पैरा 6 में कहा कि दिनांक 05.04.2022 को पुलिस ने एक पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज बरामद किया था और जब उन्होंने उसे देखा, तो उसमें दिखाई दे रहा था कि अपीलार्थी मृतक को मोटरसाइकिल से अपने साथ ले जा रहा था।

33. अ.सा-7/श्रीमती शांति यादव उस क्षेत्र की एक अन्य गवाह हैं, जहां अपीलार्थी और मृतक रहते थे। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना दिनांक को जब वह अपने घर के बाहर बैठी थी, तो उसने देखा कि अपीलार्थी, पुष्पा/अ.सा.-1 के दोनों बच्चों को ले गया था और कुछ समय बाद वे वापस लौट आए। 5-10 मिनट बाद वह फिर से उसके बेटे हर्ष को अपने साथ ले गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुष्पा और आसपास के लोगों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, रात में पुलिस वाले आए और सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उन्होंने देखा कि अपीलार्थी मृतक को अपनी मोटरसाइकिल से ले जा रहा था और फिर उन्होंने अपीलार्थी की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद, उसे पता चला कि अपीलार्थी मृतक की हत्या कर दिया है। उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे मुख्य परीक्षा में दिए गए उसके बयान पर अविश्वास हो।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. अ.सा-20/दिव्यांश चेतन मृतक का बड़ा भाई है, जो पहले भी अपीलार्थी के साथ घूमने गया था और उस समय मृतक भी उनके साथ था। उसे उसके घर में छोड़ने के बाद अपीलार्थी उसके छोटे भाई को अपने साथ ले गया, लेकिन वापस नहीं आया और उसे जंगल में जला दिया। प्रतिपरीक्षण में वह दृढ़ रहा और उसने पुनः कथन किया कि अपीलार्थी उसके छोटे भाई को अपने साथ घुमाने ले गया था।

35. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने कथन में अपीलार्थी ने प्रश्न क्रमांक 20, 43 और 265 में स्वीकार किया कि वह मृतक को अपने साथ ले गया था, लेकिन उसने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह मृतक से कैसे अलग हो गया था। प्रश्न संख्या 20, 43 और 265 और उसका उत्तर नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

प्रश्न -20 इसी साक्षी का कहना है कि भीड़ के लोगों ने यह भी बताया है कि उसके बच्चे को आप अभियुक्त सुबह घुमाने ले गए थे तथा अभी तक नहीं लाए हैं। क्या आपको कुछ कहना है ?

उत्तर - सही है।

प्रश्न -43 इसी साक्षी का कहना है कि आप अभियुक्त ने बताया था कि वह जयेन्द्र के लड़के हर्ष को घुमाकर लाता हूँ, बोलकर घर से मोटर सायकल में बैठाकर ले गया था। क्या आपको कुछ कहना है ?

उत्तर - सही है।

प्रश्न -265 इसी साक्षी का कहना है कि दिनाँक 05.04.2022 की घटना है। आप अभियुक्त अपने साथ हर्ष चेतन को मोटर सायकल में बिठाकर ले गए थे बहुत देर तक जब आप अभियुक्त हर्ष चेतन को लेकर घर नहीं लौटे तब हर्ष चेतन की माँ और उसके सदस्य बच्चे को खोजने लगे। आपका क्या कहना है ?

उत्तर - मैं नाश्ता कराने लेकर गया था।

इन सभी साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि मृतक को अपीलार्थी अपनी मोटर साइकिल पर ले जा रहा था तथा जब तक उसकी लाश बरामद नहीं हो जाती, वह वापस नहीं आ सकता था, तथा इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम बार देखे जाने का सिद्धान्त सिद्ध हो गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी का आचरण :-

36. जब अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि घटना दिनांक को मृतक को अपीलार्थी अपनी मोटर साइकिल पर ले गया था, परन्तु उसे वापस नहीं लाया। मृतक की हत्या करने के पश्चात अपीलार्थी ग्राम करंजा, भिलाई गया तथा अपनी मोटर साइकिल किरण कुमार साहू/अ.सा-8 को कुल 15,000/- रूपये में बेच दिया। मोटर साइकिल बेचते समय अपीलार्थी ने अपने भाई का मोबाइल नम्बर दिया है, क्योंकि उसने नामान्तरण के लिए उसे 2-3 दिन बाद आने को कहा था तथा विक्रय प्रतिफल में से 10,000/- रूपये रख लिया था। शाम को उसके भाई ने किरण कुमार साहू/अ.सा-8 को फोन करके अपने भाई और वाहन के बारे में पूछा; उसने बताया कि उसका भाई अपनी मोटरसाइकिल बेचने के बाद कहीं चला गया है और फिर उसने बताया कि अपीलार्थी ने 4 वर्षीय बालक की हत्या कर दिया है।

37. मेमोरेंडम कथन/प्रदर्श पी-8 से अपीलार्थी ने खुलासा किया कि करंजा में किरण साहू को अपनी मोटरसाइकिल बेचने के बाद वह नौकरी की तलाश में नागपुर चला गया था। उसने वहां अपने दो मोबाइल फोन बेचे और एक छोटा मोबाइल खरीदा और अपनी मां के मोबाइल सिम को लगाकर उसका इस्तेमाल किया और जब वह नागपुर बस स्टैंड गया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

38. अ.सा.-19/सुरेश कुमार ध्रुव, डी.एस.पी, ए.सी.बी, रायपुर ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जांच के दौरान उन्होंने कॉल डिटेल रिपोर्ट का विश्लेषण किया और पाया कि मोबाइल नंबर 8435934997 अपीलार्थी की मां कुमारी बाई के नाम पर पंजीकृत था और दिनांक 05.04.2022 को लगभग 10:35 बजे एस.एम.एस आया और फिर उसका मोबाइल टावर लोकेशन ग्राम हसदा, जिला बेमेतरा में पाया गया। उसी दिनांक को अपीलार्थी ने मोबाइल नंबर 9009389328 से मोबाइल कॉल किया, जो किरण साहू का था, जिसे मोटरसाइकिल बेची गई थी और उक्त मोबाइल कॉल भतीजे खुमान कोशले को किया गया था, जिसे भी ट्रेस किया गया। दिनांक 05.04.2022 को लगभग 22:02 एवं 22:08 बजे अपीलार्थी ने अपनी मां के मोबाइल नंबर से अपने भतीजे को फोन किया, उस समय उसका टावर लोकेशन भवानी नगर, नागपुर में पाया गया। दिनांक 07.04.2022 को भी जब उसने अपने भतीजे खुमान कोशले एवं राजा टंडन से बातचीत किया, तब भी उसका मोबाइल लोकेशन नागपुर में ही था, टावर लोकेशन के आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 07.04.2022 को रात्रि में नागपुर से अभिरक्षा में लिया गया, तथा दिनांक 08.04.2022 को उसे उरला, रायपुर ले जाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के कथन में अपीलार्थी ने प्रश्न क्रमांक 286 के उत्तर में बताया कि वह बच्चों के साथ नाश्ता करने गया था, तथा उन्हें उनके घर पर छोड़ दिया था, लेकिन उस समय उनका घर बंद था, तथा उनकी मां ने अपने बच्चों को डंडे से पीटा था। अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूर्णतः अविश्वसनीय एवं अस्वीकार्य है। जब वह अ.सा-1 के बच्चों को अपने साथ ले गया और कुछ समय बाद जब वह वापस लौटा, तो उसे बच्चों को उनके घर पर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसने उनके घर पर ताला लगा हुआ पाया था। अपीलार्थी द्वारा विपरीत स्पष्टीकरण दिया गया है कि उसकी मां ने बच्चों को डंडे से पीटा था। अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण गवाहों के साक्ष्य के विपरीत है। इसके अलावा, जिस दिन वह मृतक को अपने साथ ले गया था, उसी दिन उसने अपनी मोटरसाइकिल करंजा, भिलाई में बेच दिया और नागपुर चला गया, उसने वहां अपने दो मोबाइल फोन बेचे, एक छोटा मोबाइल फोन खरीदा और अपनी मां का मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया। वह दुकान पर मोबाइल फोन बेचते समय अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकता है। अपीलार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वह मृतक के साथ किस समय गया था या उसे कब और कहां छोड़ा था। गवाहों के पास ऐसा कोई साक्ष्य या सुझाव नहीं है कि वह मृतक के घर वापस आया और उसे छोड़ा, और इस प्रकार अपीलार्थी का आचरण भी संदिग्ध है, जो उसे अपराध में संलिप्त करता है।

अभियुक्त की निशानदेही पर शव की बरामदगी:-

40. अपीलार्थी की निशानदेही पर शव की बरामदगी के साक्षी अ.सा-4/जोहन दिनकर तथा अ.सा-21/आशीष यादव हैं।

41. अ.सा-4/जोहन दिनकर ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक से 2-3 दिन बाद पुलिस वालों ने अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया था तथा पुलिस वाले उन्हें बुला रहे थे। जब वह और आशीष यादव (पार्षद) पुलिस थाने गए थे, तब अपीलार्थी ने अपना मेमोरेंडम कथन दिया, जो प्रदर्श पी-8 है, जिसमें उसने पूरी घटना और मृतक की हत्या करने के तरीके का खुलासा किया। वे पुलिस और अपीलार्थी के साथ उस स्थान पर गए थे, जहां शव पड़ा था। प्रतिपरीक्षण में वे इस बात पर स्थिर रहे कि अपीलार्थी द्वारा अपने मेमोरेंडम कथन में घटना का खुलासा करने के बाद, पुलिस के लोग घटनास्थल पर गए थे और शव को बरामद किया था। इस गवाह के साक्ष्य को अ.सा-21/आशीष यादव के साक्ष्य द्वारा समर्थित और पुष्ट किया गया है, जिन्होंने भी कहा है कि जब अपीलार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो वह थाना गया था और उसकी उपस्थिति में अपीलार्थी ने अपना मेमोरेंडम कथन दिया था और उसके बाद शव बरामद किया गया था और बरामदगी पंचनामा/प्रदर्श पी-35 तैयार किया गया था। इन दोनों गवाहों ने मेमोरेंडम कथन और खेत से शव की बरामदगी को विधिवत प्रमाणित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. अशोक बघेल/अ.सा-6, जयेन्द्र चेतन/अ.सा-2 और देवेन्द्र चेतन/अ.सा-9 के साक्ष्य से भी अपीलार्थी के कहने पर शव की बरामदगी अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है, जिसका बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं किया जा सका। बरामद शव जली हुई अवस्था में था और उसकी पहचान उसके पिता/अ.सा-2 जयेन्द्र चेतन द्वारा विधिवत किया गया था। शव और शव के पास अन्य वस्तुओं की बरामदगी को अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने कथन के प्रश्न क्रमांक 47, 48 और 49 में स्वीकार किया गया है।

मोबाइल फोन नंबरों का कॉल विवरण:

43. विवेचना अधिकारी भरत लाल बरेठ/अ.सा-18 ने अपने साक्ष्य में बताया है कि जांच के दौरान अपीलार्थी से दो सिम कार्ड युक्त एक मोबाइल फोन जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-9 के तहत जब्त किया गया है तथा किरण साहू निवासी करंजा, भिलाई के घर से सीसीटीवी फुटेज, जो भावेश राव वाडेकर द्वारा निकाली गई थी,

जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-11 के तहत जब्त किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है जो प्रदर्श पी-11ए है तथा पेन ड्राइव अनुच्छेद 'ए-1' है। दिनांक 05.04.2022 से 07.04.2022 के मध्य अपीलार्थी ने अपनी मां के मोबाइल नंबर 8435934997 से अपने भतीजे खुमान कोशले को फोन किया था। विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी ने मोबाइल नंबर 8435935997, 9753341814, 7440717348, 7449257021 एवं 9009389328 की सी.डी.आर, एस.डी.आर, सी.ए.एफ एवं टावर लोकेशन प्राप्त किया गया तथा टावर लोकेशन की जानकारी दस्तावेज/प्रदर्श पी-45 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। टावर लोकेशन की जानकारी के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उपयोग किए जा रहे मोबाइल फोन की टावर लोकेशन नागपुर, महाराष्ट्र में पाया गया। उसके मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर उसे दिनांक 07.04.2022 को नागपुर में अभिरक्षा में लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. अ.सा-5/लक्ष्मी कोशले, जो अपीलार्थी की बहन है, ने बताया है कि उसने अपनी मां के मोबाइल नंबर से अपीलार्थी को फोन किया, लेकिन उसने उसका फोन नहीं उठाया। जब उसने अपीलार्थी के मोबाइल नंबर पर फोन किया, तो वह बंद पाया गया। अपीलार्थी अपनी मां का मोबाइल नंबर उपयोग कर रहा था। जब उसके चचेरे भाई राजा ने अपने मोबाइल नंबर से फोन किया तब अपीलार्थी ने उससे बात किया और तब उसने बताया कि चूंकि उसके दोस्त की दुर्घटना हो गई थी, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दिया, उसका दोस्त भानपुर के अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने मोबाइल फोन में बातचीत रिकॉर्ड करवाकर पुलिस को दिया और 2-3 दिन बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक बच्चे की हत्या किया है।

45. अ.सा-10/राजा टंडन ने भी अ.सा-5/लक्ष्मी कोशले के उपरोक्त साक्ष्य का समर्थन किया है।

46. अ.सा-11/खुमान कोशले, जो अपीलार्थी का भतीजा है, ने साबित किया है कि अपीलार्थी ने मोबाइल नंबर 7440717348 से उसके मोबाइल नंबर पर फोन किया था और उसने अपनी नानी का मोबाइल नंबर पूछा था।

47. अ.सा-19/सुरेश कुमार ध्रुव ने मोबाइल टावर लोकेशन का विश्लेषण किया और सुसंगत समय पर अपीलार्थी का मोबाइल टावर लोकेशन ग्राम हसदा में पाया गया, जो नेवनारा के निकटवर्ती ग्राम है अर्थात घटना का स्थान और उस स्थान के पास ही अपीलार्थी का मोबाइल टावर लोकेशन पाया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी मां के मोबाइल नंबर से उसके भतीजे के मोबाइल फोन पर बार-बार किए गए कॉल से

उसके मोबाइल टावर का लोकेशन नागपुर में पाया गया, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया।

<u>हेतुक:-</u>

48. अभियोजन पक्ष ने मृतक की हत्या करने के हेतुक के संबंध में भी साक्ष्य प्रस्तुत किया हैं। अपीलार्थी/प्रदर्श पी-8 के मेमोरेंडम कथन में अपीलार्थी ने खुलासा किया है कि वह मृतक की मां पर बुरी नजर रखता था, लेकिन वह उसमें रूचि नहीं लेती थी और उसे सबक सिखाने के लिए उसने मृतक की हत्या कर दिया। उक्त तथ्य की पुष्टि अ.सा-6 के साक्ष्य से हुआ है, जिसने अपने साक्ष्य के पैरा 5 में कहा है कि अपीलार्थी मृतक की मां पुष्पा चेतन पर बुरी नजर रखता था परन्तु उसकी मां उसमें रूचि नहीं थी, तब उसने उसके बेटे की हत्या कर दिया। उसके साक्ष्य के इस भाग का उसके प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं किया जा सका, इसलिए मृतक की हत्या करने का हेतुक भी मौजूद है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **<u>नथुनी यादव बनाम बिहार राज्य, 1978 (9) एस.सी.सी 238</u>** के मामले में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है:

> "आपराधिक कृत्य करने का हेतुक आम तौर पर अभियोजन के लिए एक कठिन क्षेत्र होता है। आमतौर पर कोई दूसरे के मन में नहीं देख सकता। हेतुक वह भावना है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। गंभीर अपराध करने के लिए ऐसे प्रेरक कारण का आनुपातिक रूप से गंभीर होना आवश्यक नहीं है। कई हत्याएं बिना किसी ज्ञात या प्रमुख हेतुक के किया जाता हैं। यह बहुत संभव है कि उपर्युक्त प्रेरक कारक अज्ञात ही रह जाए। लॉर्ड चीफ जस्टिस चैम्पबेल ने रेग बनाम पामर (शॉर्टहैंड रिपोर्ट पृष्ठ 308 एस.सी.सी मई 1850) में सावधानी का एक नोट दिया; इस प्रकार: "लेकिन अगर कोई मकसद है जिसे सौंपा जा सकता है, तो मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य हूं कि उस मकसद की पर्याप्तता बहुत कम महत्व की है। हम आपराधिक न्यायालयों के अनुभव से जानते हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध बहुत मामूली हेतुक से किए गए हैं; केवल द्वेष और बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक छोटा सा आर्थिक लाभ पाने के लिए, और कुछ समय के लिए दबाव वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए"। हालांकि, यह एक ठोस प्रस्ताव है कि हर आपराधिक कृत्य एक हेतुक से किया जाता है, यह सुझाव देना गलत है कि जब तक

हेतुक साबित नहीं हो जाता तब तक ऐसा कोई आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। आखिर हेतुक एक मनोवैज्ञानिक घटना है। केवल तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी की मानसिक प्रवृत्ति को साक्ष्य में बदलने में विफल रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि हमलावर के दिमाग में ऐसी कोई मानसिक स्थिति मौजूद नहीं थी।

सीसीटीवी फुटेज:

50. अ.सा-3/भारती यादव, जिनके घर से सी.सी.टी.वी फुटेज पेन ड्राइव में सी.सी.टी.वी से निकाली गई थी, के साक्ष्य से, जिसे अ.सा-4/जोहन दिनकर द्वारा भी साबित किया गया है और अपीलार्थी की किरण साहू की दुकान में उपस्थिति से, जब अपीलार्थी वहां मोटरसाइकिल बेचने गया था और दिनांक 05.04.2022 को लगभग 1:00 बजे, वह किरण साहू की दुकान में मौजूद था, जिसने उसकी मोटरसाइकिल खरीदी थी, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि सी.सी.टी.वी फुटेज में अपीलार्थी का कृत्य स्पष्ट है कि उसने कुछ कागजात खरीदार को सौंपे, जिसने उसे कुछ पैसे दिए। साक्षी किरण साहू/अ.सा-8 से, अपीलार्थी के आर.टी.ओ कागजात, बीमा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड को जब्ती पत्रक/प्रदर्श पी-7 के माध्यम से जब्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उक्त अपराध में दोषी ठहराने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार किया है, जो निम्नानुसार हैं:-

> "1. मृतक हर्ष चेतन के शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श/पी-5 के अनुसार मृतक के पूरे शरीर में दूसरे व तीसरे डिग्री के जले हुए घाँव मौजूद होने तथा कुल जले हुए घाँव का प्रतिशत 100 प्रतिशत होना पाया गया है तथा मृतक के शरीर पर उपस्थित जले हुए घाँव मृत्यु के पूर्व के थे। मृतक के शरीर का पूरा भाग जला हुआ होने से मृतक हर्ष कुमार चेतन की मृत्यु जलने के कारण हत्यात्मक प्रकृति की थी ।
>
> 2. घटना दिनांक 05.04.2022 को सुबह लगभग 10.00 बजे मृतक हर्ष चेतन को जीवित अवस्था में अभिभयुक्त पंचराम उर्फ/ मन्नू गेण्डारे के द्वारा मोटर सायकल में बैठाकर ले जाते हुए अंतिम बार देखा जाना अकाट्य साक्ष्य से प्रमाणित है।

3. घटना दिनांक 05.04.2022 को ही अभियुक्त पंचराम गेंद्रे के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श/पी-34 नामजद रूप से दर्ज़ करायी गई है।

4. अभियुक्त पंचराम उर्फ/ मन्नू गेंद्रे के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श/ पी -8 में अभियुक्त के एकांकी ज्ञान में दी गई सूचना के आधार पर मृतक हर्ष चेतन का अधजला शव की बरामदगी प्रदर्श/ पी-35 किया जाना प्रमाणित किया है।

5. अभिभयुक्त के स्वयं के एकांकी ज्ञान से घटना के बारे में बताए गए मेमोरेंडम कथन प्रदर्श/पी -8 के तथ्य की प्रमाणिकता में घटना स्थल के पास से मृतक के शव पाए जाने तथा मृतक के शव के पास अधजला टॉवेल का टुकड़ा, पीले रंग का दो लीटर का प्लास्टिक का डिब्बा व ढक्कन जिसमें पेट्रोल के अंश धनात्मक पाए हैं, अधजली माचिस की तिल्ली की जप्ती की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रकरण में प्रस्तुत डी.एन.ए रिपोर्ट प्रदर्श/पी-22 के अनुसार प्रार्थिया पुष्पा चेतन एवं जयेन्द्र चेतन, मृतक हर्ष चेतन के जैविक माता- पिता हैं व मृतक 4 वर्षीय बालक है।

7. अभिभयुक्त पंचराम उर्फ/मन्नू गेंद्रे काघटना दिनांक 05.04.2022 को घटना कारित किए जाने के पश्चात फेरार हो जाना व घटना के समय अभियुक्त के मोबाईल का लोकेशन घटना स्थल के आस- पास पाया जाना प्रमाणित है।

8. घटना दिनांक 05.04.2022 को घटना के पश्चात फरार होना पैसों की आवश्यकता के लिए घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को करंजिया भिलाई निवासी किरण कुमार साहू को मय दस्तावेज विक्रय हेतु ले जाना व विक्रय राशि की जप्ती अभियुक्त से एवं अभियुक्त के आधिपत्य की मोटर सायकल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, मूल आधार कार्ड की जप्ती किरण साहू से किया जाना प्रमाणित है।

9. घटना दिनांक 05.04.2022 को अभियुक्त पंचराम उर्फ/मन्नू गेंद्रे के द्वारा मृतक हर्ष चेतन को गाँव लाकर कहाँ छोड़ा गया था, इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 के तहत अभियुक्त पंचराम

गेंद्रे पर था, लेकिन इसके विपरीत अभियुक्त मौके से फरार हो गया था। अभियुक्त का घटना के बाद पश्चातवर्ती आचरण धारा-8 साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य है।

10. मृतक के परिजन, प्रकरण के विवेचना अधिकारी एवं अन्य स्वतंत्र साक्षियों, अभियुक्त के परिजन से अभियुक्त की कोई रंजिश होने संबंधी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है, जिससे रंजिशवश अभियुक्त को मिथ्या प्रकरण में फ़साया गया जाना दर्शित हो।

52. इस प्रकार साक्ष्य की सूक्ष्मता से जांच करने पर यह सिद्ध पाया जाता है कि दिनांक 05.04.2022 को अपीलार्थी नाबालिग बालक को अपने साथ ले जाकर पेट्रोल डालकर उसकी हत्या कर दिया तथा अपनी मोटर साइकिल किरण साहू को बेचकर नागपुर चला गया। उसके मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर उसे नागपुर से गिरफ्तार कर उरला थाना रायपुर ले जाया गया। उसका मेमोरेंडम कथन दर्ज किया गया तथा उसके आधार पर मृतक का शव नेवनारा एवं अकोली खार के खेत से अधजली अवस्था में बरामद किया गया। जब यह सिद्ध हो जाता है कि अपीलार्थी को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था तथा वह मृतक को अपने साथ ले गया है, तब अपीलार्थी पर यह स्पष्ट करने का भार आ जाता है कि वह किस समय मृतक से अलग हुआ था, क्योंकि यह तथ्य उसके विशेष ज्ञान में था। मृतक को अपने साथ ले जाने की बात अपीलार्थी ने अपने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत कथन में स्वीकार किया है। उसका आचरण भी संदिग्ध पाया गया है तथा उसके मोबाइल टावर लोकेशन से घटनास्थल के निकट उसकी उपस्थिति प्रमाणित हुई है। ये सभी परिस्थितियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करती हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी के विरुद्ध बहुत अधिक सबूत हैं कि उसने मृतक की हत्या की है और विद्वान विचारण न्यायालय ने कथित अपराध के लिए उसे उचित रूप से दोषी ठहराया है।

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के कथन में अपने विरुद्ध अभियोगात्मक परिस्थितियों का स्पष्टीकरण न दिया जाना :</u>

53. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के कथन में उसके विरुद्ध प्रस्तुत अभियोगात्मक परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं किया है, जिससे उसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए मजबूत हो गया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

54. **शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021 (5) एस.सी.सी 626** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित कर दिया हो जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ही अपराधी है तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 में गलत स्पष्टीकरण या गैर-स्पष्टीकरण को केवल एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

55. साक्ष्यों की गहन जांच से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी ने नाबालिग लड़के का अपहरण किया, उसकी हत्या किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364 और 302 के तहत अपराध का दोषी है, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में सही माना है अतः हम एततद्वारा उक्त अपराध हेतु अभियुक्त की दोषसिद्धि को पुष्ट करते है।

56. अब अगला प्रश्न विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को दी गई मृत्युदंड की सजा है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि उसे मृत्यु तक फांसी पर लटकाया जाए तथा इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 407) के अनुसार पुष्टि के लिए हमारे पास भेजा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>मृत्युदंड</u>

57. अब, एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या यह मामला मृत्युदंड को उचित ठहराने वाले विरलतम से विरल मामलों की श्रेणी में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अनेक निर्णयों में मृत्युदंड देने के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके लिए गुरुतरकारी परिस्थितियों और शमनकारी परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना होगा। सात अन्य कारक जैसे आरोपी की आयु, सुधार की संभावना और हत्या के आशय की कमी को भी न्यायालय को निर्णय समय ध्यान में रखना होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या करने के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि या मृत्युदंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि के मामले में, न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 393 की उपधारा (3) (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उपधारा (3)) के अनुसार ऐसी सजा देने के लिए विशेष कारण

और मृत्युदंड देने के लिए विशेष कारण बताना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 393 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

> " धारा 354 (3): मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षो की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है , तब निर्णय में दिये गये दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन करना होगा।"

58. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3)) की धारा 393 (3) की भाषा विधायी सोच और उन शर्तों को दर्शाती है जिन्हें मृत्युदंड देने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। 'मृत्यु दंड की सजा के मामले में, ऐसी सजा के लिए विशेष कारण' शब्द स्पष्ट रूप से विधानमंडल के आदेश को प्रदर्शित करते हैं कि मृत्यु दंड की सजा देने के लिए ऐसे कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए, अर्थात न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि यह मामला विरलतम से विरल मामला है,जिसके लिए केवल मृत्यु दंड का दंडादेश ही दिया जाना चाहिये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

59. मृत्यु दंड लगाने के प्रश्न पर विचार करते समय, **सुशील मुर्मू बनाम झारखंड राज्य, 2003 ए.आई.आर एस.सी.डब्लू 6782** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर 1980 एस.सी 898** पर भरोसा करने के बाद बच्चन सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में दिये दिशा-निर्देशों के आधार पर मृत्यु दंड लगाने के संबंध में कानून का सारांश दिया है। क्रूर, विकृत, शैतानी, विद्रोही या नृशंस तरीके से की गई हत्या को मृत्यु दंड देने के लिये विरलतम से विरल मामला माना गया है। किसी परिवार के लगभग सभी सदस्यों या किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाके के सदस्य की कई हत्याओं को भी मृत्युदंड देने के लिये विरलतम से विरल मामला माना गया है। उपर्युक्त मामलों में मृत्युदंड देते समय,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मासूम बच्चे या एक असहाय महिला या बूढ़े या अशक्त व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की हत्या के मामले में भी इसे विरलतम मामला माना है, जिस पर हत्यारा हावी है या कोई लोक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे आम तौर पर समुदाय द्वारा प्यार और सम्मान दिया जाता है और ऐसी हत्याओं के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है।

60. हत्या के लिए मृत्युदंड अधिरोपित करने के प्रश्न पर विचार करते हुए, बच्चन सिंह (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हत्या के लिए वैकल्पिक

दंड के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है। निर्णय का पैराग्राफ 132 सुसंगत है और इस प्रकार है:

> "132. संक्षेप में, प्रश्न यह कि मृत्युदंड किसी दंडात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं, एक कठिन, जटिल और दुष्कर मुद्दा है। इसने बहुत भिन्न-भिन्न विचार उत्पन्न किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के आलोक में तर्कसंगतता के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में मृत्युदंड के संबंध में आरोपित प्रावधान की संवैधानिकता का परीक्षण करने के उद्देश्य से, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी भी तरह से कोई स्पष्ट राय व्यक्त करें कि उन्मूलनवादियों और प्रतिधारणवादियों द्वारा रखे गए इन दो विरोधाभासी विचारों में से कौन सा सही है। यह कहना पर्याप्त है कि यह तथ्य कि तर्क, शिक्षा और ज्ञान के लोग इस मुद्दे पर अपनी राय में तर्कसंगत और गहराई से विभाजित हैं, याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज करने के लिए अन्य बातों के अलावा एक आधार है कि आरोपित प्रावधान में मृत्युदंड दिया जाना पूरी तरह से तर्क और उद्देश्य से रहित है। यदि उन्मूलनवादियों के दृष्टिकोण के बावजूद इसके विपरीत, दुनिया भर में समाजशास्त्रियों, विधायकों, न्यायविदों, न्यायाधीशों और प्रशासकों सहित लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी समाज की सुरक्षा के लिए गुरुत्तर दंड के मूल्य और आवश्यकता में दृढ़ता से विश्वास करता है, यदि भारत में मौजूदा अपराध स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, संसद में लोगों के प्रतिनिधियों के माध्यम से समकालीन जनमत ने पिछले तीन दशकों में बार-बार, मृत्युदंड को समाप्त करने या विशेष रूप से प्रतिबंधित करने के सभी प्रयासों को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें हाल ही में किया गया प्रयास भी शामिल है, यदि मृत्युदंड अभी भी दुनिया के अधिकांश सभ्य देशों में हत्या या कुछ प्रकार की हत्या के लिए एक मान्यता प्राप्त कानूनी मंजूरी है, यदि भारतीय संविधान के निर्माता पूरी तरह से जानते थे जैसा कि हम आगे बताएंगे कि वे भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के लिए सजा के रूप में मृत्युदंड के अस्तित्व के बारे में जानते थे, यदि 35 वीं रिपोर्ट और बाद की विधि आयोग की रिपोर्टें मृत्युदंड को बनाए रखने का सुझाव देती हैं, और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने और उस संहिता में नई धाराएं 235 (2) और 354 (3) जोड़ने की सिफारिश करती हैं, जो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सजा से पहले सुनवाई और दोषसिद्धि पर सजा प्रक्रिया प्रदान करती हैं हत्या और अन्य मृत्युदंड संबंधी अपराधों के मामले संसद के समक्ष थे और संभवतः 1972-1973 में जब इसने 1898 की संहिता में संशोधन किया और इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया, तब इसने इस पर विचार किया था, इसलिए यह मानना संभव नहीं है कि दंड संहिता की धारा 302 में हत्या के लिए वैकल्पिक सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान अनुचित है और जनहित में नहीं है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते है कि धारा 302 में आरोपित प्रावधान अनुच्छेद 19 के न तो अक्षरशः या न ही उसके मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

61. ऐसे परिस्थितियों में जिसमें मृत्युदंड अधिरोपित किया जा सकता है, उनका निराकरण करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितियों का सारांश दिया है और मृत्युदंड अधिरोपित करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट का पैराग्राफ 179 इस प्रकार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"179. फुरमैन में निर्णय के तुरंत बाद, जॉर्जिया विधानमंडल ने अपनी वैधानिक योजना में संशोधन किया। संशोधित क़ानून अपराध की छह श्रेणियों के लिए मृत्युदंड को बरकरार रखता है: हत्या, फिरौती के लिए अपहरण या जहां पीड़ित को नुकसान पहुंचाया जाता है,सशस्त्र डकैती, बलात्कार, राजद्रोह और विमान अपहरण। वैधानिक रूप से गुरुत्तरकारी परिस्थितियाँ, जिनमें से किसी का अस्तित्व मृत्यु की चरम सजा को लागू करने को उचित ठहरा सकता है, जैसा कि उस क़ानून में प्रदान किया गया है, वे हैं:

(1) हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती या अपहरण का अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसे पहले से ही किसी बड़े अपराध के लिए दंडित किया गया है, (या हत्या का अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसके पास गंभीर हमलावर आपराधिक सजाओं का पर्याप्त इतिहास है)।

(2) हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती या अपहरण का अपराध तब किया गया था, जब अपराधी किसी अन्य गंभीर अपराध या गंभीर मारपीट में लिप्त था, या हत्या का अपराध तब किया गया था, जब अपराधी प्रथम डिग्री में चोरी या आगजनी के कृत्य में संलिप्त है।

(3) अपराधी ने हत्या, सशस्त्र डकैती या अपहरण के अपने कृत्य से जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर एक से अधिक व्यक्तियों के लिए हथियार या उपकरण के माध्यम से मृत्यु का बड़ा खतरा पैदा किया, जो सामान्य रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरनाक है।

(4) अपराधी ने धन या मौद्रिक मूल्य की किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं या किसी अन्य के लिए हत्या का अपराध किया।

(6) अपराधी ने किसी अन्य व्यक्ति की स्वयं हत्या किया या उसे ऐसा करने का निर्देश दिया या किसी अन्य व्यक्ति के एजेंट या कर्मचारी के रूप में हत्या किया।

(7) हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती या अपहरण का अपराध अत्यधिक या बेवजह घिनौना, भयानक या अमानवीय था, जिसमें पीड़ित को यातना, मानसिक भ्रष्टता या गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था।

(8) हत्या का अपराध किसी शांति अधिकारी, सुधार कर्मचारी या फायरमैन के विरुद्ध किया गया था, जब वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहा था।

(9) हत्या का अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था जो विधिपूर्ण रूप से निरुद्ध था तथा उससे भाग गया था।

(10) हत्या स्वयं या किसी अन्य की वैध कारावास के स्थान पर वैध गिरफ्तारी या हिरासत से बचने, उसमें हस्तक्षेप करने या उसे रोकने के उद्देश्य से की गई थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 204 में निम्नलिखित शमनकारी परिस्थितियों पर विचार किया है:

"204. डॉ. चिताले ने इन शमनकारी परिस्थितियों का सुझाव दिया है:

शमनकारी परिस्थितियाँ- उपर्युक्त मामलों में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा:

1. यह अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियुक्त की आयु, यदि अभियुक्त युवा या वृद्ध है, तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।

3. संभावना है कि अभियुक्त हिंसा का आपराधिक कृत्य नहीं करेगा क्योंकि इससे समाज के लिए निरंतर खतरा पैदा होगा।

4. संभावना है कि अभियुक्त को सुधारा जा सकता है और उसका पुनर्वास किया जा सकता है। राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त उपरोक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा नहीं करता है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि अपराध करना नैतिक रूप से उचित था।

6. अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या प्रभुत्व में काम किया।

7. अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थय था और उक्त दोष ने उसके आचरण की आपराधिकता को समझने की उसकी क्षमता को क्षीण कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

62. **बच्चन सिंह** (पूर्वोक्त) पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एस.सी.सी 470** के मामले में पैराग्राफ 38 में मृत्युदंड अधिरोपित किये जाने वाली परिस्थितियाँ बताई गई है जो इस प्रकार है:

"38. इस पृष्ठभूमि में, बच्चन सिंह के मामले (पूर्वोक्त) में बताए गए दिशा-निर्देशों को अलग-अलग करके प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा, जहां मृत्युदंड लगाने का प्रश्न उठता है। बच्चन सिंह के मामले से निम्नलिखित प्रतिपादनाये बताई गई हैं:

(i) अत्यधिक दोषी होने के गंभीरतम मामलों को छोड़कर मृत्युदंड की कठोर सजा नहीं दी जानी चाहिए;

(ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ-साथ 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

(iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। दूसरे शब्दों में मृत्युदंड तभी लगाया जाना चाहिए जब अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त सजा प्रतीत हो, और बशर्ते, और केवल तभी, जब अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों तथा सभी सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प ईमानदारी से नहीं चुना जा सकता है;

(iv) गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियों का एक बैलेंस-शीट तैयार किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प का प्रयोग करने से पहले गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

63. जैसा कि **पंछी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एस.सी.सी 177, जय कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1999) 5 एस.सी.सी 1** और **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश, (2005)3 एस.सी.सी 114** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि आजीवन कारावास का प्रावधान सामान्य नियम है और मृत्यु दंड का प्रावधान अपवाद है। मृत्युदंड देने के मामले में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि यह विरलतम से विरल मामला है और मृत्युदंड के अलावा कोई अन्य सजा पर्याप्त नहीं है।

64. मृत्युदंड लगाने के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मृत्युदंड अधिरोपित करने के मामले में, कानून द्वारा प्रदत्त मृत्युदंड विरलतम से विरल मामलों में उचित दंड है, न कि सामान्य नियम के रूप में और **सुशील मुर्मू** (पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड अधिरोपित करने के संबंध में कानून का सारांश दिया है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 15 और 16 इस प्रकार हैं:

"15. बच्चन सिंह मामले से बताये गये निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर जहां मृत्युदंड लगाने का प्रश्न उठता है, लागू करना होगा: (एस.सी.सी पृष्ठ 489, पैरा 38)

(i) अत्यधिक दोषी होने के गंभीरतम मामलों को छोड़कर मृत्युदंड की कठोर सजा नहीं दी जानी चाहिए।

(ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले "अपराध" की परिस्थितियों के साथ-साथ "अपराधी" की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

(iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। मृत्यु दण्ड केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए आजीवन कारावास पूर्णतया अपर्याप्त दण्ड प्रतीत हो, तथा बशर्ते कि, अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों तथा सभी सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए आजीवन कारावास का दण्ड लगाने के विकल्प का प्रयोग पूर्णतः न किया जा सके।

(iv) गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियों का एक बैलेंस शीट तैयार किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय गुरुत्तरकारी परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प का प्रयोग करने से पहले गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विरलतम से विरल मामलों में जब समाज की सामूहिक अंतरात्मा को इतना आघात पहुँचता है कि वह न्यायालय से मृत्यु दंड देने की अपेक्षा करता है, भले ही मृत्यु दंड को बनाए रखने के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, मृत्यु दंड दिया जा सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में समाज ऐसी भावना रख सकता है:

1. जब हत्या अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही या नृशंस तरीके से की जाती है, जिससे समुदाय का तीव्र और अत्यधिक आक्रोश भड़क उठता है।

2. जब हत्या किसी ऐसे हेतुक से की जाती है जो पूर्णतया अनैतिकता और नीचता को दर्शाता है, जैसे कि पैसे या पुरस्कार के लिए किराए के हत्यारे द्वारा की गई हत्या या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए की गई निर्मम हत्या जिस पर हत्यारा प्रभुत्वशाली स्थिति में हो या विश्वासपात्र हो, या मातृभूमि के साथ विश्वासघात करते हुए हत्या की गई हो।

3. जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि के किसी सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियों में की जाती है जो सामाजिक आक्रोश को भड़काती हैं, या "दुल्हन

को जलाने" या "दहेज हत्याओं" के मामलों में या जब दहेज वसूलने के लिए पुनर्विवाह करने या मोह के कारण दूसरी महिला से विवाह करने के लिए हत्या की जाती है।

4. जब अपराध अनुपात में बहुत बड़ा हो। उदाहरण के लिए जब एक ही परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों या किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाके के बहुत से लोगों की हत्याएं की जाती हैं।

5. जब हत्या का शिकार कोई मासूम बच्चा, या कोई असहाय महिला या कोई बूढ़ा या अशक्त व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने हत्यारा हावी हो या कोई जन नायक हो जिसे समाज में आम तौर पर प्यार और सम्मान मिलता हो।

65. **अशरफी लाल एंड संस बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.,ए.आई.आर 1987 एस.सी 1721** के मामले में क्रूरता के प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपराध की डिग्री और ऐसी सजा देने की वांछनीयता के आधार पर उचित दंड देना न्यायालय का कर्तव्य है। विवाद पर अपना व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए दो मासूम लड़कियों की जघन्य हत्या के मामले में, अपीलार्थीगण को दिये गये मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की गई। पैराग्राफ 3 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को मुख्य रूप से दंड के प्रश्न पर सुना है, लेकिन हम उनके तर्क से प्रभावित नहीं हैं। दो अपीलार्थी अशरफी लाल और बाबू लालच और व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण एक जघन्य अपराध के दोषी थे और कठोर दंड के हकदार हैं। यह मामला बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस.सी.सी 684: (ए.आई.आर.1980 एस.सी898) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित 'विरलतम से विरल' मामले के अंतर्गत आता है, जैसा कि बाद में मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एस.सी.सी 470: (ए.आई.आर 1983 एस.सी 957) के मामले में विस्तृत वर्णन किया गया है। दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए। ये निर्मम क्रूर हत्या था, जिसमें दो मासूम लड़कियों की जान चली गई। जिस अत्यधिक क्रूरता के साथ अपीलार्थीगण ने काम किया, वह न्यायिक विवेक को झकझोर देता है। ऐसे गंभीर मामलों में मृत्युदंड न देना, जहां यह आवश्यक है समाज के विरुद्ध अपराध, विशेषकर अत्यधिक क्रूरता से की गई हत्याओं के मामले में दंड संहिता की धारा 302 के तहत दी गई मौत की सजा को निरर्थक कर देगा। न्यायालय का यह कर्तव्य

> है कि वह अपराध की मात्रा और ऐसे दंड को लगाने की वांछनीयता के आधार पर उचित दंड लगाए। अपनी मां श्रीमती बुलाकन के साथ संपत्ति को लेकर हुए विवाद का बदला लेने के लिए दो मासूम लड़कियों की निंदनीय और जघन्य हत्या करने के लिए अपीलार्थीगण को केवल मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। सामाजिक आवश्यकता के उपाय के रूप में और अन्य संभावित अपराधियों को रोकने के साधन के रूप में दोनों अपीलार्थीगण अशर्फी लाल और बाबू को दिये गये मृत्युदंड के आदेश की पुष्टि की जाती है। ”

66. पाशविकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, **सुभाष रामकुमार बिंद उर्फ़ वकील एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर 2003 एस.सी 269** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि हत्या की प्रत्येक घटना में पाशविकता शामिल होती है, लेकिन पाशविकता अपने आप में उसे मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए विरलतम से विरल मामलों की श्रेणी में नहीं लाएगी। इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में पाशविकता असाधारण और दुर्लभतम थी, साथ ही यह दिखाने के लिए भी कि अपराध में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मृत्युदंड की मांग करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

67. **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1994) 2 एस.सी.सी 220:1994 एस.सी.सी (क्रि.) 358** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए दंडशास्त्र के प्रश्न पर विचार करते हुए माना है कि समाज की माँग पर अपराधियों के खिलाफ न्याय हेतु न्यायालयों को उचित दंड लगाने की आवश्यकता है। न्याय की मांग है कि न्यायालयों को अपराध के अनुरूप दंड देना चाहिए ताकि न्यायालयों में अपराध के प्रति जनता की घृणा प्रतिबिंबित हो। पैराग्राफ 14 और 15 प्रासंगिक हैं और इस प्रकार हैं:

> “14. हाल के वर्षों में, बढ़ती अपराध दर-विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध ने न्यायालय द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा को चिंता का विषय बना दिया है। आज स्वीकार्य असमानताएँ हैं। कुछ अपराधियों को बहुत कठोर सजा मिलती है जबकि कई को अनिवार्य रूप से समान अपराध के लिए बहुत अलग सजा मिलती है और चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में अपराधी बिना सजा के भी रह जाते हैं, जिससे अपराधी को बढ़ावा मिलता है और अंततः व्यवस्था की विश्वसनीयता कमज़ोर होकर

न्याय को नुकसान पहुँचता है। बेशक, सजा लगाने से संबंधित कोई भी स्पष्ट सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं है, लेकिन सजा देने का उद्देश्य यह देखना होना चाहिए कि अपराध बिना सजा के न रहे और अपराध के शिकार के साथ-साथ समाज को भी यह संतुष्टि मिले कि उसके साथ न्याय हुआ है। विशिष्ट कानून के अभाव में सजा देते समय, न्यायाधीशों को विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए और उन सभी कारकों पर विचार करने और स्थिति का समग्र दृष्टिकोण लेने के बाद, वह सजा देनी चाहिए जो उन्हें उचित लगे। गुरुत्तर कारी कारकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसी प्रकार शमन कारी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा।

15. हमारी राय में, किसी मामले में सजा का मापदंड अपराध की क्रूरता, अपराधी के आचरण और पीड़ित की असहाय और असुरक्षित स्थिति पर निर्भर होना चाहिए। उचित सजा देना वह तरीका है जिससे न्यायालय अपराधियों के खिलाफ न्याय के लिए समाज द्वारा उठाये आवाज़ का जवाब देती हैं। न्याय की मांग है कि न्यायालय अपराध के अनुरूप सजा दें ताकि न्यायालय अपराध के प्रति जनता की घृणा को दर्शित कर सकें। उचित सजा देने पर विचार करते समय न्यायालय को न केवल अपराधी के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि पीड़ित के अधिकारों और समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए। ”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

68. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मृत्युदंड की सजा के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोनू सरदार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी 97** के मामले में, जिसमें एक युवा पुरुष पर मृत्युदंड लगाया गया था, यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अपीलार्थी युवा है, लेकिन मानव जीवन के प्रति कोई विचार नहीं करता है और उसकी आपराधिक प्रवृत्ति सुधार से परे है, वह समाज के लिए एक खतरा है, मृत्युदंड उचित है क्योंकि यह विरलतम से विरल मामला है, पैराग्राफ 18 से 22 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया है: -

“18. इन गुरुत्तर परिस्थितियों के खिलाफ, विचारण न्यायालय ने मृत्युदंड से बचने के लिए अपीलार्थी के पक्ष में कोई भी शमनकारी परिस्थिति नहीं पाया है। इसलिए, यह उन मामलों में से नहीं है जिसमें विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को मृत्युदंड देने के लिए

विस्तृत कारण दर्ज नहीं किया हैं, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है।

19. डकैती और हत्या के अपराध में अपीलार्थी की भूमिका के बारे में, हम पहले ही यह पा चुके हैं कि अपीलार्थी की पगड़ी और टी-शर्ट, जिन्हें जब्त किया गया था और विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था, में मानव रक्त की उपस्थिति थी। हमने यह भी पाया है कि कुल्हाड़ी और लोहे की छड़, जो अपीलार्थी के बयान के अनुसार बरामद किया गया था, में भी खून के धब्बे थे। हमने अ.सा-1 के साक्ष्य से यह भी पाया है कि जब उसकी माँ खाना बना रही थी और शोर सुनकर बाहर आई, तब अपीलार्थी अपने पिता से पैसे मांग रहा था और उसके पिता ने अपीलार्थी को अपनी जेब में रखे सारे पैसे दे दिए।

20. इसलिए, इस मामले में यह दिखाने के लिए स्पष्ट और निश्चित सबूत हैं कि अपीलार्थी ने न केवल अपराध में भाग लिया, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत अपराध में मुख्य भूमिका भी निभाई। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह माना जा सके कि अपीलार्थी की भूमिका ऐसी नहीं थी कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत मृत्युदंड दिया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. सुन्दर सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 611 में हाल ही में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय ने पाया कि अभियुक्तों ने कमरे में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी तथा उस समय कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, जब परिवार के सभी सदस्य कमरे के अन्दर खाना खा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के पांच सदस्यों की जान चली गई तथा परिवार की छठी सदस्य, एक असहाय महिला, बच गई। इस न्यायालय ने माना कि अभियुक्त ने मृतक की ओर से किसी भी तरह के अचानक दिये गये प्रकोपन के बिना पूर्व-योजनाबद्ध तरीके से और ठंडे दिमाग से अपराध किया था और यह सब पारिवारिक भूमि के संबंध में चल रही दुश्मनी के कारण किया गया था और यह उन विरलतम मामलों में से एक था जिसमें मृत्युदंड अधिरोपित किया जाना चाहिए।

22. वर्तमान मामले में तथ्य अलग नहीं हैं। एक परिवार के पांच सदस्यों, जिनमें दो नाबालिग बच्चे और ड्राइवर शामिल हैं, को चाकू,

कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से और चार अन्य लोगों की मदद से बेरहमी से मार दिया गया। यह अपराध स्पष्ट रूप से पूर्व-योजना के अनुसार धन के लिए किया गया था, जिसमें मानव जीवनके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। यद्यपि अपीलार्थी युवा है, लेकिन उसकी आपराधिक प्रवृत्तियाँ सुधार से परे हैं और वह समाज के लिए एक खतरा है। इसलिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सही थे कि यह उन विरलतम मामलों में से एक है जिसमें मृत्युदंड उचित सजा है।

69. मृत्युदंड दिए जाने के सम्बन्ध में गंभीर विचार-विमर्श के दौरान, **संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एससीसी 498** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 135 में निम्नलिखित टिप्पणी की है: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"135. जीवन के अधिकार का अर्थ है, केवल जीवित रहने का अधिकार। इस रूप में, जीवन का अधिकार सभी अधिकारों में सबसे मूलभूत अधिकार है। परिणामस्वरूप, जीवन को छीनने के उद्देश्य से दिये जाने वाला मृत्युदंड, सबसे गंभीर सज़ा है। मृत्युदंड, जीवन के अधिकार के मूलभूत अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त करने की आवश्यक घटक पर निर्बंध लगाता है। जीवन का अधिकार, हम इस अधिकार की पूर्ण प्रकृति को समझते हैं, इस अर्थ में कि यह अन्य सभी अधिकारों का स्रोत है। अन्य अधिकार सीमित हो सकते हैं, और उन्हें वापस भी लिया जा सकता है और फिर से समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन उनकी अंतिम सीमा जीवन के अधिकार के संरक्षण में पाया जाता है। जीवन का अधिकार संविधान के तहत सभी अधिकारों का आवश्यक घटक है। यदि जीवन छीन लिया जाता है, तो अन्य सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। "

70. इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आधार पर अर्थात् मृत्युदंड अधिरोपित करने हेतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रामनरेश एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी 257** के मामले में मृत्युदंड अधिरोपित करने के उन उदाहरणों का सारांश दिया है, जिनमें मृत्युदंड के अलावा अन्य सजा पर्याप्त या सार्थक नहीं होगी, और पैराग्राफ 76 में निम्नलिखित अवलोकित किया है: -

"76. इस न्यायालय द्वारा अपने हाल के निर्णयों में जैसा कि पहले ही बच्चन सिंह (पूर्वोक्त) और उसके बाद मच्छी सिंह (पूर्वोक्त) में

सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जा चुका है। उपरोक्त निर्णय मुख्य रूप से इन सिद्धांतों को दो अलग-अलग भागों में विभाजित करते हैं- एक "गुरुत्तरकारी परिस्थितियाँ" जबकि दूसरी "शमनकारी परिस्थितियाँ"। न्यायालय इन दोनों पहलुओं के संचयी प्रभाव पर विचार करेगा और आम तौर पर न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह निम्नलिखित में से किसी भी शीर्षक के तहत किसी एक वर्ग के संदर्भ में सजा नीति के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर निर्णय ले जबकि अन्य शीर्षकों के तहत अन्य वर्गों को पूरी तरह से अनदेखा कर दे। दोनों को संतुलित करना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है। न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह अभ्यास को संतुलित करने के बाद अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे। आपराधिक न्याय प्रणाली को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद करना और धारा 354(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय द्वारा प्रभावी और सार्थक तर्क प्रदान करना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गुरुत्तरकारी परिस्थितियाँ

1) अभियुक्त द्वारा हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती, अपहरण आदि जैसे जघन्य अपराध करने से संबंधित अपराध, जिनके ऊपर पहले से ही गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्धि दर्ज है या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, जिनका गंभीर हमलों और आपराधिक दोषसिद्धि का पर्याप्त इतिहास है।

(2) अपराध तब किया गया, जब अपराधी किसी अन्य गंभीर अपराध में लिप्त था।

(3) अपराध आम जनता में भय का माहौल पैदा करने के इरादे से किया गया था और सार्वजनिक स्थान पर किसी ऐसे हथियार या उपकरण द्वारा किया गया था, जो स्पष्ट रूप से एक से अधिक लोगों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता था।

(4) हत्या का अपराध फिरौती या पैसे या मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था।

(5) भाड़े पर हत्या।

(6) अपराध केवल अभाव के कारण किया गया था, जिसमें पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार और यातना शामिल थी।

(7) अपराध किसी व्यक्ति द्वारा विधिपूर्ण अभिरक्षा में रहते हुए किया गया था।

(8) हत्या या अपराध किसी व्यक्ति को वैध रूप से अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए किया गया था, जैसे कि गिरफ्तारी या अभिरक्षा में खुद को या किसी अन्य को वैध कारावास के स्थान पर रखना। उदाहरण के लिए, हत्या उस व्यक्ति का है जिसने धारा 43 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने कर्तव्य का वैध निर्वहन किया था।

(9) जब अपराध बहुत बड़ा हो जैसे कि पूरे परिवार या किसी विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या का प्रयास करना।

(10) जब पीड़ित निर्दोष, असहाय हो या कोई व्यक्ति रिश्ते और सामाजिक मानदंडों के भरोसे पर निर्भर हो, जैसे कि एक बच्चा, असहाय महिला, एक बेटी या पिता/चाचा के साथ रहने वाली भतीजी और ऐसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है।

(11) जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य से की जाती है जो पूर्ण रूप से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है।

(12) जब हत्या बिना प्रकोपन के ठंडे दिमाग से किया जाता है।

(13) अपराध इतनी क्रूरता से किया जाता है कि यह न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि समाज के विवेक को भी झकझोर देता है।

शमनकारी परिस्थितियाँ

(1) जिस तरीके और परिस्थितियों में अपराध किया गया, उदाहरण के लिए, अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति या अत्यधिक उत्तेजना, जो सामान्य परिस्थितियों में इन सभी स्थितियों के विपरीत है।

(2) अभियुक्त की आयु सुसंगत तथ्य है, लेकिन अपने आप में एक निर्णायक कारक नहीं है।

(3) अभियुक्त द्वारा फिर से अपराध न करने की संभावना और अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और दोष ने उसके आपराधिक आचरण की परिस्थितियों को समझने की उसकी क्षमता को क्षीण कर दिया था।

(5) ऐसी परिस्थितियाँ जो सामान्य जीवन में इस तरह के व्यवहार को संभव बनाती हैं और उस स्थिति में मानसिक असंतुलन को जन्म दे सकती हैं जैसे लगातार उत्पीड़न या वास्तव में मानवीय व्यवहार के ऐसे चरम पर ले जाना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्त का मानना था कि वह अपराध करने में नैतिक रूप से उचित था।

(6) जहां साक्ष्य की उचित विवेचन के बाद न्यायालय का विचार है कि अपराध पूर्व निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था और मृत्यु किसी अन्य अपराध के दौरान हुई थी और यह संभावना थी कि इसे प्राथमिक अपराध के परिणामस्वरूप माना जा सकता है।

(7) जहां एकमात्र चक्षुदर्शी की गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह से असुरक्षित है, हालांकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को साबित कर दिया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा देने पर विचार करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया है:

(1) न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण लागू करना होगा कि क्या यह मृत्युदंड लगाने के लिए "विरलतम" मामला था।
(2) न्यायालय की राय में, किसी अन्य सजा, अर्थात आजीवन कारावास का प्रावधान पूरी तरह से अपर्याप्त होगा और न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा।

(3) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है।

(4) आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से नहीं चुना जा सकता है।

(5) विधि (योजनाबद्ध या अन्यथा) और तरीका (क्रूरता और अमानवीयता की सीमा, आदि) जिसमें अपराध किया गया और ऐसी परिस्थितियाँ जिसके कारण ऐसा जघन्य अपराध किया गया।"

71. यह निर्णीत करने के लिए कि क्या मृत्युदंड ही एकमात्र सार्थक और पर्याप्त सजा होगी, न्यायालय को गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियाँ का एक संतुलन बनाना आवश्यक है। **रामनरेश** (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 79 में आगे इस प्रकार टिप्पणी किया है:-

> "न्यायालय तब गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियाँ का एक संतुलन बनाएगी। दोनों पहलुओं को उनके संबंधित महत्व दिया जाना चाहिए। न्यायालय को दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा और देखना होगा कि न्याय का तराजू/संतुलन किस तरफ झुकता है। अपराध और दंड के बीच अनुपात "न्यायोचित दंड का सिद्धांत" का सिद्धांत है जो हर अपराधी को दी जाने वाली दंड की नींव के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, "आनुपातिकता का सिद्धांत" भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत दंड नीति के लिए एक मूल्यवान अनुप्रयोग है। इस प्रकार, न्यायालय को न केवल यह जांचना होगा कि क्या न्यायसंगत है, बल्कि यह भी कि समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त किसका हकदार है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

72. **शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 5 एस.सी.सी 546** (माननीय न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने एक अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बच्चन सिंह** (पूर्वोक्त) और **मच्छी सिंह** (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून को दोहराया और अंततः पैराग्राफ 52 में माना कि मृत्युदंड देते समय जिन परीक्षणों को लागू किया जाना चाहिए वे हैं "अपराध परीक्षण","आपराधिक परीक्षण" और "आर-आर परीक्षण" न कि "संतुलन परीक्षण"। रिपोर्ट के पैराग्राफ 52 में इस प्रकार कहा गया है (एस.सी.सी पृष्ठ क्रमांक 576, पैरा 52): -

> “52. ऊपर बताई गई गुरुत्तरकारी परिस्थितियाँ, बेशक, संपूर्ण नहीं हैं, साथ ही शमनकारी परिस्थितियाँ भी। मेरे विचार से, मृत्युदंड देते समय हमें जो परीक्षण लागू करने होते हैं, वे हैं “अपराध परीक्षण”, “आपराधिक परीक्षण” और “आर-आर परीक्षण” और न कि “संतुलन परीक्षण”। मृत्युदंड देने के लिए, “अपराध परीक्षण” को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए, अर्थात 100% और “आपराधिक परीक्षण” को 0%, अर्थात अभियुक्त के पक्ष में कोई शमनकारी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि अभियुक्त के पक्ष में कोई परिस्थिति है, जैसे अपराध करने का आशय न होना, सुधार की संभावना, अभियुक्त की कम उम्र, समाज के लिए खतरा न होना, कोई पिछला आपराधिक

पृष्ठ्भूमि न होना आदि। "आपराधिक परीक्षण" अभियुक्त को मृत्युदंड से बचने के लिए अनुकूल हो सकता है। यहां तक कि अगर दोनों परीक्षण संतुष्ट हैं, अर्थात, पूरी तरह से गुरुत्तरकारी परिस्थितियाँ और अभियुक्त के पक्ष में कोई शमनकारी परिस्थितियाँ नहीं हैं, तब भी हमें अंततः विरलतम से विरल मामले का परीक्षण (आर-आर परीक्षण) लागू करना होगा। आर-आर परीक्षण समाज की धारणा पर निर्भर करता है जो "समाज-केंद्रित" है न कि "न्यायाधीश-केंद्रित", अर्थात, क्या समाज कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड देने को मंजूरी देगा या नहीं। उस परीक्षण को लागू करते समय, न्यायालय को कुछ प्रकार के अपराधों जैसे कि बौद्धिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़कियों, शारीरिक विकलांगता से पीड़ित, उन विकलांगताओं वाली बूढ़ी और कमजोर महिलाओं आदि के यौन उत्पीड़न और हत्या के प्रति समाज की घृणा, अत्यधिक आक्रोश और घृणा जैसे विभिन्न कारकों पर गौर करना पड़ता है। उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। न्यायालय संवैधानिक बाध्यता के कारण, परिस्थिति की मांग के अनुसार मृत्युदंड देते हैं, जो लोगों की इच्छा से परिलक्षित होता है, न कि न्यायाधीशों की इच्छा से।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पैरा 106 में, उनके माननीय न्यायाधीशों ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए संचयी रूप से कई कारणों पर विचार किया और सुझाव दिया। उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 106 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है: -

"106. उपरोक्त मामलों के अध्ययन से पता चलता है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए संचयी रूप से कई कारण हैं। ऐसे कारक जो सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। हालांकि, इनमें से कुछ ने सजा में परिवर्तन को प्रभावित किया है:

(1) अभियुक्त की कम उम्र (अमित बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 8 एस.सी.सी 93: 2003 एस.सी.सी (क्रि) 1959, आयु 20 वर्ष, राहुल, राहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2005) 10 एस.सी.सी 322: 2005 एस.सी.सी (क्रि) 1516, आयु 24 वर्ष, संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य, (2010) 9 एस.सी.सी 747: (2010) 3 एस.सी.सी (क्रि) 1469, उम्र 24 वर्ष, रमेशभाई चंदूभाई राठौड़ (2) बनाम गुजरात राज्य, (2011) 2 एस.सी.सी 764: (2011) 1 एस.सी.सी (क्रि) 883,

उम्र 28 वर्ष और अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी 107: (2012) 2 एस.सी.सी (क्रि) 590, उम्र 28 वर्ष);

(2) संतोष कुमार सिंह 42 और अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 44 में अभियुक्तों के सुधार और पुनर्वास की संभावना, संयोग से, जब उन्होंने अपराध किया था, तब अभियुक्त युवा थे);

(3) अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं था (निर्मल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (1999)3 एस.सी.सी 670: 1999 एस.सी.सी (क्रिमिनल) 472, राजू बनाम हरियाणा राज्य (2001) 9 एस.सी.सी 50: 2002 एस.सी.सी (क्रि.) 408, बंटू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2001) 9 एस.सी.सी 615: 2002 एस.सी.सी (क्रि.) 777, अमित बनाम महाराष्ट्र राज्य 40, सुरेंद्र पाल शिवबालकपाल, सुरेंद्र पाल शिवबालकपाल बनाम गुजरात राज्य, (2005) 3 एस.सी.सी 127: 2005 एस.सी.सी (क्रि.) 653, राहुल 41 और अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 44);

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अभियुक्त समाज या समुदाय के लिए खतरा या धमकी देने वाला नहीं था (निर्मल सिंह 45, मोहम्मद चमन, मोहम्मद चमन बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2001) 2 एस.सी.सी 28: 2001 एस.सी.सी (क्रि) 278, राजू 46, बंटू 47, सुरेन्द्र पाल शिवबालकपाल 48, राहुल 41 और अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 44)।

(5) कुछ अन्य कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जैसे कि अभियुक्त को न्यायालयों द्वारा बरी कर दिया जाना (राज्य टी.एन. बनाम सुरेश, (1998) 2 एस.सी.सी. 372: 1998 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 751, राज्य महाराष्ट्र बनाम सुरेश, (2000) 1 एस.सी.सी.471: 2000 एस.सी.सी.(सी.आर.आई.) 263, राज्य महाराष्ट्र बनाम भारत फकीरा धीवर, (2002)1 एस.सी.सी.622: 2002 एस.सी.सी.(सी.आर.आई.) 217, राज्य महाराष्ट्र बनाम मानसिंह(2005)3 एस.सी.सी.131:2005 एस.सी.सी.(सी.आर.आई.) 657 और संतोष कुमार सिंह 42);

(6) अपराध पूर्व नियोजित नहीं था (कुमुदी लाल कुमुदी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1999) 4 एस.सी.सी 108: 1999 एस.सी.सी (क्रि) 491, अख्तर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1999) 6 एस.सी.सी

60: 1999 एस.सी.सी (क्रि.) 1058, राजू 46 और अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एस.सी.सी 79: (2007) 2 एस.सी.सी (क्रि.) 397);

(7) मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का था (मानसिंह 53 और बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम असम राज्य, (2007) 11 एस.सी.सी 467: (2008) 1 एस.सी.सी (क्रि.) 766)।

एक मामले में, सजा में परिवर्तन का आदेश दिया गया क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कोई "आपवादिक" विशेषता नहीं थी जिसके लिए मृत्युदंड की आवश्यकता हो (कुमुदी लाल 54) और दूसरे मामले में, विचारण न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर मृत्युदंड कर दिया (हरेश मोहनदास राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 12 एस.सी.सी 56: (2012) 1 एस.सी.सी (क्रि.) 359)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अलावा, उनके माननीय न्यायाधीशों ने पैरा 122 में मृत्युदंड की पुष्टि करने के लिए प्रमुख कारण भी निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

"(1) अपराध की क्रूर, शैतानी, बर्बर, विकृत और वीभत्स प्रकृति (जुम्मन खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1991) 1 एस.सी.सी 752: 1991 एस.सी.सी (क्रि.) 283, धनंजय चटर्जी 34, लक्ष्मण नाइक बनाम उड़ीसा राज्य, (1994) 3 एस.सी.सी 381: 1994 एस.सी.सी (क्रि.) 656, कामता तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1996) 6 एस.सी.सी 250: 1996 एस.सी.सी (क्रि) 1298, निर्मल सिंह 45, जय कुमार 30, सतीश, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश, (2005) 3 एस.सी.सी 114: 2005 एस.सी.सी (क्रि.) 642 बंटू 47, अंकुश मारुति शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एस.सी.सी 667: (2009) 3 एस.सी.सी (क्रि.) 308, बी.ए. उमेश, बी.ए. उमेश बनाम कर्नाटक राज्य, (2011) 3 एस.सी.सी 85: (2011) 1 एस.सी.सी (क्रि.) 801 मोहम्मद मन्नान मोहम्मद मन्नान बनाम बिहार राज्य, (2011) 5 एस.सी.सी 317: (2011) 2 एस.सी.सी (क्रि.) 626 और राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक, (2012) 4 एस.सी.सी 37);

(2) अपराध परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से घृणा, न्यायिक विवेक या समाज के विवेक को झकझोरती है धनंजय चटर्जी 34,

या जय समुदाय कुमार 30, अंकुश मारुति शिंदे 63 और मोहम्मद मन्नान 65);

(3) दोषी का सुधार या पुनर्वास संभव नहीं है या वह समाज के लिए खतरा होगा (जय कुमार 30, बी.ए. उमेश 64 और मोहम्मद मन्नान 65);

(4) पीड़ित असहाय थे (धनंजय चटर्जी 34, लक्ष्मण नाइक 60, कामता तिवारी 61, अंकुश मारुति शिंदे 63, मोहम्मद मन्नान 65 और राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक, (2012) 4 एससीसी 37);

(5) अपराध या तो बिना उकसावे के किया गया था या यह पूर्व नियोजित था (धनंजय चटर्जी 34, लक्ष्मण नाइक 60, कामता तिवारी 61, निर्मल सिंह 45, जय कुमार 30, अंकुश मारुति शिंदे 63, बी.ए. उमेश 64 और मोहम्मद मन्नान 65) और तीन मामलों में दोषी के पिछले इतिहास को ध्यान में रखा गया (शिवु बनाम आर.जी., कर्नाटक उच्च न्यायालय; 2007 सीआर.एल.जे. 1806, बी.ए. उमेश और राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक, (2012) 4 एस.सी.सी 37)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

73. इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 एस.सी.सी 460** के मामले में पुनर्विलोकन याचिकाओं पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि किसी दोषी के सुधारे जाने और पुनर्वास किए जाने की संभावना इस बात पर निर्णय लेने के लिए एक वैध आधार है कि उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या आजीवन कारावास और यह जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है कि वह न्यायालय के सामने साबित करे कि दोषी सुधारे जाने और पुनर्वास किए जाने में सक्षम नहीं है। माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार टिप्पणी की है: -

"45. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से और असंदिग्ध रूप से आदेश देता है कि मृत्युदंड देने से पहले न्यायालयों को इस संभावना (संभावना या असंभाव्यता या असंभवता नहीं) पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किसी अपराधी को समाज में सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) के तहत "विशेष कारणों" की आवश्यकता के आदेशों में से एक है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त

करना शामिल है। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के समक्ष यह साबित करे कि संभावना यह है कि अपराधी को सुधारा या पुनर्वासित नहीं किया जा सकता है। यह जेल में उसके आचरण के बारे में साथ ही साथ अन्य बातों को अभिलेख पर लाकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि वह कुछ समय से जमानत पर है तो जेल से बाहर उसका आचरण,उसकी मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सकीय साक्ष्य, उसके परिवार से संपर्क आदि। इसी तरह, दोषी भी इन मुद्दों पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

47. दोषी के सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर विचार करने पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। [बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस.सी.सी 684: 1980 एस.सी.सी (क्रि) 580] न्यायालयों द्वारा मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति, उसकी क्रूरता और गंभीरता पर जोर दिया गया था। बच्चन सिंह (पूर्वोक्त) ने दंड देने की प्रक्रिया को परिप्रेक्ष्य में रखा और दोषी के सुधार या पुनर्वास पर विचार करने की आवश्यकता प्रस्तुत किया। संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के बावजूद, ऐसे कई उदाहरण हैं, उनमे से कुछ बरियार में बताए गए हैं [संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एस.सी.सी 498: 2009 2 एस.सी.सी (क्रि.) 1150] और संगीत बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 2 एस.सी.सी 452: 2013 2 एस.सी.सी (क्रि.) 611 , जहाँ अपराध को प्राथमिकता देने और अपराधी को कुछ हद तक गौण तरीके से देखने की प्रवृत्ति है। जैसा कि संगीत (पूर्वोक्त) में कहा गया है, "दंड देने की की प्रक्रिया में अपराध और अपराधी दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।" इसलिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो, फिर भी एक इंसान है और अपने अपराध के बावजूद सम्मान के साथ जीने का हकदार है। इसलिए, अभियोजन पक्ष और न्यायालयों को यह निर्धारित करना है कि क्या ऐसे व्यक्ति को, उसके अपराध के बावजूद, सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना निश्चित रूप से आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे किया जाना चाहिए। पुनर्वास की प्रक्रिया भी सरल नहीं है क्योंकि इसमें दोषी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यक्ति का समाज में सामाजिक रूप से पुनः एकीकरण शामिल है। बेशक, उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी और विशेषज्ञों द्वारा उसके विश्लेषण और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के बावजूद, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां दोषी व्यक्ति का सामाजिक रूप से पुनः एकीकरण संभव नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो लंबी अवधि के कारावास का विकल्प स्वीकार्य है।"

74. पुनः, **लोचन श्रीवास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2021 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 1249** के मामले में **राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक** (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून के सिद्धांत को दोहराते हुए विशेष रूप से उस फैसले के पैराग्राफ 45 और 47 को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना को ध्यान में रखना न्यायालयों का कर्तव्य है और न केवल अपराध बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और न्यायाधीशों ने **सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2017) 4 एस.सी.सी 393** के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए अभियुक्त की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने हेतु अग्रसित हुये : -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"56. अपीलार्थी एक युवा व्यक्ति है, जो अपराध करने के समय 23 वर्ष का था। वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखता था। राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया है कि अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास के संबंध में कोई संभावना नहीं है। उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय ने भी मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया है। अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी के छोटे भाई लीलाधर श्रीवास और बड़ी बहन घासनीन श्रीवास के शपथपत्र अभिलेख में पेश किए हैं। शपथपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसल्दा नामक एक छोटे से गाँव से आता है। उसके पिता नाई का काम करके अपनी आजीविका कमाते थे। अपीलार्थी अध्ययनशील और मेहनती था। उसने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किया है। जेल में अपीलार्थी का आचरण संतोषजनक पाया गया है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह अपीलार्थी द्वारा किया गया पहला अपराध है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जघन्य अपराध है। अपीलार्थी कठोर अपराधी नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता

कि अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है, जिससे कम सजा के विकल्प को समाप्त किया जा सके और मृत्युदंड लगाया जाना अनिवार्य हो।

57. इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ को सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2017) 4 एस.सी.सी 393 के मामले में इसी तरह के तथ्यों पर विचार करने का अवसर मिला। उक्त मामले में भी अपीलार्थी-आरोपी की उम्र लगभग 25 वर्ष थी, जो एक नाबालिग लड़की को भगा ले गया था। आरोपी ने उक्त नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था और गला घोंटने के कारण दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 367, 376(2)(एफ) और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा। अपील में, इस न्यायालय ने इस प्रकार माना:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. वर्तमान मामले में, हम यह नहीं पाते हैं कि बच्चन सिंह [बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस.सी.सी 684: 1980 एस.सी.सी (क्रि.) 580] और उसके बाद की निर्णयों में बताई गई आवश्यकताओं ने दोनों में से किसी भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-आरोपी के पक्ष में स्वीकार की जाने वाली बाध्यता/शमनकारी परिस्थितियों में से एक छोटी उम्र है जिस उम्र में उसने अपराध किया था। तथ्य यह है कि आरोपी को सुधारा जा सकता है और पुनर्वास किया जा सकता है; संभावना है कि आरोपी समान आपराधिक कृत्य नहीं करेगा; कि आरोपी समाज के लिए निरंतर खतरा नहीं होगा, अन्य परिस्थितियाँ हैं जिन्हें विद्वान विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखा किया जा सकता था।

13. हमने उपरोक्त के आलोक में मामले पर विचार किया है। इस तरह के विचार पर, हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में, न्याय का उद्देश्य तब पूरा होगा यदि हम मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दें। हम तदनुसार आदेश देते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा

363, 367 और 376 (2) (एफ) के तहत अपराधों के लिए दिए गए दंड और जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया है, को यथावत रखा जाता है।

58. हम भी उसी तर्क को अपनाने और उसी मार्ग का अनुसरण करने के लिए इच्छुक हैं जो इस न्यायालय ने सुनील (पूर्वोक्त) के मामले में अपनाया था। इसलिए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(i), 377, 201,302 सहपठित धारा 376ए और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा का निर्णय और आदेश यथावत रखा जाता है। हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दिये गये मृत्युदंड के दंडादेश को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अन्य अपराधों हेतु दिये गये दंडादेश जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, को यथावत रखा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

75. इसके बाद, **मोफिल खान और अन्य बनाम झारखंड राज्य, 2021 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 1136** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने **राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक (पूर्वोक्त) और मोहम्मद मन्नान बनाम बिहार राज्य, (2019) 16 एससीसी 584** में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि दोषी के सुधार और पुनर्वास की संभावना एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे उसे मृत्युदंड देने से पहले शमनकारी परिस्थिति के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए और निम्नानुसार देखा गया:

"10. यह सुस्थापित विधि है कि दोषी के सुधार और पुनर्वास की संभावना एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे उसे मृत्यु दंडादेश देने से पहले एक शमनकारी परिस्थिति के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालयों पर यह दायित्व है कि वे सभी सुसंगत कारकों की जानकारी प्राप्त करें और सुधार की संभावना के बारे में विचार करें, भले ही अभियुक्त चुप ही क्यों ना रहें। विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों की जांच से पता चलता है कि मृत्युदंड की सजा अपराध की क्रूरता को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के सुधार की संभावना का कोई संदर्भ नहीं है, न ही राज्य ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत जुटाया है कि याचिकाकर्ताओं के संबंध में ऐसी कोई संभावना

नहीं है। हमने याचिकाकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों जिनके साथ वे भावनात्मक संबंध साझा करते हैं द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र और जेल अधीक्षक द्वारा 14 साल की लंबी कैद के दौरान उनके आचरण के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र की जांच किया है। उपरोक्त सभी बातों पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं के सुधार की कोई संभावना नहीं है, जिससे कम सजा के विकल्प को समाप्त किया जा सके और मृत्युदंड लगाया जाना अनिवार्य हो जाए। इसलिए, हम याचिकाकर्ताओं को दिये गये मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हैं। हालांकि, संपत्ति विवाद के कारण बिना उकसावे के पूर्व नियोजित तरीके से उनके भाई-बहन के पूरे परिवार की भीषण हत्या को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता 30 वर्ष की सजा के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

76. हाल ही में, **भगवानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2022 एस.सी.सी ऑनलाइन एससी 52** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने **बच्चन सिंह** (पूर्वोक्त), **मच्छी सिंह** (पूर्वोक्त), **मोहम्मद मन्नान** (पूर्वोक्त), **मोफिल खान** (पूर्वोक्त) और **राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक** (पूर्वोक्त) में अपने पूर्व के फैसले पर भरोसा किया और पाया कि अभियुक्तों के सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> "21. अपीलार्थी अपराध की तिथि को 25 वर्ष का था और अनुसूचित जनजाति समुदाय से है, जो शारीरिक श्रम करके अपना जीवन यापन करता था। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे पता चले कि अपीलार्थी के पुनर्वास और सुधार की कोई संभावना नहीं है और मृत्युदंड के विकल्प का प्रश्न समाप्त हो जाता है। जिस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया है, उससे पहले अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। जेल में उसके आचरण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं बताई गई है। इसलिए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की आवश्यकता है। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा एक 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के अपराध को हिंसक और बर्बर तरीके से

अंजाम दिए जाने को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को 30 वर्ष की अवधि के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसके दौरान उसे छूट नहीं दी जाएगी।

22. अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। दंड संहिता, 1860 ("आईपीसी") की धारा 363, 366ए, 364, 346, 376डी, 376ए, 302, 201 और लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(जी)(एम) के साथ धारा 6 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है और सजा को मृत्युदंड से बदलकर 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

77. इसी तरह, **पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 176 के मामले में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"164. यह आसानी से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने उचित मामलों में उचित दंड के लिए समाज की मांग के जवाब में निवारक के रूप में कार्य करने के लिए कानून में मृत्युदंड को उचित पाया है, लेकिन साथ ही दंडशास्त्र के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं, अर्थात मानव जीवन को संरक्षित करना, चाहे वह अभियुक्त का हो, जब तक कि उसका अंत अपरिहार्य न हो और समाज के अन्य सामाजिक कारणों और सामूहिक विवेक की सेवा करना हो। इसके कारण 'विरलतम से विरल परीक्षण' का विकास हुआ और फिर 'अपराध परीक्षण' और 'आपराधिक परीक्षण' के संदर्भ में इसका उचित संचालन हुआ। न्यायिक प्रक्रिया से अपेक्षित नाजुक संतुलन ने एक और बीच का रास्ता अपनाने को भी प्रेरित किया है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा देते समय छूट या समय पूर्व रिहाई के अधिकारों को कम किया गया है, खासकर तब जब वर्तमान मामले जैसे जघन्य प्रकृति के अपराधों का निराकरण किया जा रहा हो।"

78. विधि के उपर्युक्त प्रतिपादनाओ के आलोक में, हमें वर्तमान मामले की गुरुत्तरकारी परिस्थितियों और शमनकारी परिस्थितियों के आलोक में मामले की बारीकी से जांच करने और यह तय करने के लिए एक बैलेंस शीट तैयार करने की आवश्यकता है कि क्या वर्तमान मामला विरलतम से विरल मामले की श्रेणी में

आता है, क्या अपीलार्थीगण के सुधार की कोई संभावना नहीं है, क्या आजीवन कारावास जो कि नियम है, पर्याप्त नहीं होगा और न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा और क्या मृत्युदंड लगाना ही एकमात्र उचित और सार्थक दंड होगा।

79. मृत्युदंड लगाने के मामले में, दंड होगा के अनुसार न्यायालय को ऐसी सजा देने के लिए विशेष कारणों को अभिलिखित करना होगा। इसलिए, हमें अपराध की प्रकृति, यह कैसे और किन परिस्थितियों में किया गया, जिस क्रूरता के साथ अपराध किया गया, अपराध का मकसद, अपराध करने के समय कोई उत्तेजक या गंभीर परिस्थितियाँ (अपराध परीक्षण), अपराध की संभावना जैसे मामलों पर विचार करना होगा। दोषी का सुधार या पुनर्वास, आजीवन कारावास की सजा की पर्याप्तता और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तथा यह देखने के लिए कि क्या राज्य ने यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त का सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है और क्या सजा के प्रश्न पर अपीलार्थी/अभियुक्त को सुनवाई का प्रभावी अवसर प्रदान किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

80. इस स्तर पर, निर्णय के पैराग्राफ 168 से 178 में अपीलार्थी को सजा सुनाते समय विद्वान 7वें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए विशेष कारणों पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं: -

> "168- उभयपक्ष के तर्क पर विचार किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-364, 302 के अनुसार अभियुक्त को या तो आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड (हत्या की गंभीरता के आधार पर) से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, किंत दं.प्र.सं. की धारा 354 (3) यह प्रावधान करती है कि जब भी कोई न्यायालय मृत्युदण्ड अधिरोपित करती है तो उसे विशेष कारण अभिलिखित करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक न्यायदृष्टांतो से यह स्थापित हो गया है कि आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदण्ड अपवाद है। इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत "रोनल जेम्स बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, (1998)3 एस.सी.सी 625, "अलाउद्दीन मियां बनाम स्टेट ऑफ बिहार" (1989) 3 एस.सी.सी 5, "नरेश गिरि विरूद्ध स्टेट ऑफ एम०पी०" (2001) 9 एस.सी.सी 615" अवलोकनीय है।

169- सुशील मुर्मा बनाम झारखण्ड राज्य के तात्कालिक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदण्ड अधिरोपित करने के संबंध में विधि को निम्नलिखित रूप से संक्षेपित किया है :-

(1) चरम दण्डता के गंभीरता मामलों के सिवाय मृत्युदण्ड की चरम सीमा को प्रणित करना जरूरी नहीं होता है।

(2) मृत्युदण्ड का निर्णय लेने के पहले "अपराधी" की अवस्था के साथ-साथ "अपराध" की परिस्थितियों को भी ध्यान में लेना अपेक्षित है।

(3) आजीवन कारावास एक नियम है तथा मृत्युदण्ड एक अपवाद है। मृत्युदण्ड तभी अधिरोपित होना चाहिए, जब अपराध की सुसंगत परिस्थितियों के बारे में आजीवन कारावास सर्वथा अपर्याप्त दण्ड प्रतीत होता हो और यदि, और केवल यदि, आजीवन कारावास के दण्ड का विकल्प अपराध की प्रकृति तथा परिस्थितियों और अन्य परिस्थितियों के संबध में अन्तः करण से प्रयुक्त न हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) प्रवर्धक तथा अल्पीकरण करने वाली परिस्थितियों का पक्का चिठ्ठा लेखबद्ध होना चाहिए और ऐसा करने में अल्पीकरण करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होता है तथा इससे पहले की विकल्प प्रयुक्त हो, प्रवर्धक तथा अल्पीकरण करने वाली परिस्थितियों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन करना होता है।

(5) विरलतम मामलों में जब लोक समाज के सामूहिक अन्तःकरण को इतना आघात पहुचा है कि वे न्यायिक शक्ति केन्द्र के संधारको से उनकी व्यक्तिगत राय, जिसका मृत्युदण्ड प्रतिधारण करने की वांछनीयता या अन्यथा से संबध है, को विचार में लाये बिना मृत्युदण्ड दिये जाने की आशा करेंगे, तब मृत्युदण्ड अधिनिर्णित हो सकता है।

(अ) जब अत्यधिक क्रूर, वीभत्स, पाश्विक, घृणित या नृशंस ढंग से हत्या की गई हो, ताकि लोक समाज का उग्र तथा चरम रोष भड़क उठे ।

(ब) जब हत्या ऐसे हेतुक के लिए की गई हो जो पूर्ण दुराचारिता तथा निकृष्टता प्रकट करें, उधारणार्थ, धन या पुरस्कार के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या अथवा धनप्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति की निष्ठुर हत्या जिसकी तुलना में हत्यारा प्रभावशाली स्थिति में या

विश्वासनीयता की स्थिति में हो अथवा मातृभूमि से विश्वासघात करने के क्रम में हत्या की गई हो।

(स) जब अनुसूचित जाति का अल्पसंख्यक समुदाय आदि के सदस्य की हत्या निजी करणों से नहीं की जाती है,बल्कि ऐसी परिस्थितियों में की जाती है जो सामाजिक रोष भड़काती है या "वधु - दहन" या "दहेज हत्याओ" के मामलों में या जब एक बार फिर से दहेज खींचने की खातिर दुबारा शादी करने के क्रम में या आसक्ति के कारण दूसरी महिला से विवाह करने के लिए हत्या की गई हो।

(द) जब अपराध अनुपात में प्रचुर हो, उदाहरण के लिए जब अनेक हत्यायें, जैसे कि किसी परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों की हत्या या किसी विशेष जाति, समुदाय या परिक्षेत्र के बृहत संख्या वाले व्यक्तियों की हत्या की जाती है।

(त) जब हत्या का शिकार कोई निर्दोष बच्चा या कोई असहाय महिला या वृद्ध अथवा कमजोर व्यक्ति का ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना में हत्यारा प्रभावशाली स्थिति में हो या समाज का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सामान्य रूप से समुदाय के लिए प्रतिकर तथा सम्मानीय हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

170- मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बच्चन सिंह के प्रकरण में सूचित पथ प्रदर्शक निम्नलिखित प्रस्तावों का वर्णन किया जो बच्चन सिंह के वाद में से उभरकर सामने आयेः -

(1) मृत्युदण्ड का चरम दण्ड, सिवाय अत्यंत दण्डयता के मामलों में, नहीं देना चाहिए ।

(2) मृत्युदण्ड का विक्कूप ढूंढने के पहले "अपराधी" की परिस्थितियों का भी अपराध की परिस्थितियों के साथ विचार करना चाहिए।

(3) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदण्ड एक अपवाद, दूसरे शब्दों में मृत्युदण्ड सिर्फ उसी समय देना चाहिए जब अपराध से संबंधित परिस्थितियों में आजीवन कारावास अत्यंत अपर्याप्त मालूम पड़े और सिर्फ उस समय देना चाहिए कि जब आजीवन कारावास का दण्ड विवेकपूर्ण ढंग से, अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों एवं सभी प्रासंगिक परिस्थतियों को देखते हुए नहीं दिया जा सकता।

(4) प्रवर्धक और न्यूनीकारक परिस्थितियों का एक तुलना पत्र (**Balance sheet**) बनाना चाहिए और ऐसा करते समय न्यूनीकारक परिस्थितियों को पूरी वरीयता ओर विद्युप का अभ्यास करने के पहले प्रवर्धक और न्यूनीकारक परिस्थितियों के बीच समतापूर्ण संतुलन बनाना चाहिये।

171- मच्छी सिंह (**Macchi Singh**) के प्रकरण में और भी देखा गया-इस मार्ग दर्शन को लागू करने के लिये साथ-साथ निम्न प्रश्नों को करना और उत्तर पाना चाहिए-

(अ) क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य है, जो आजीवन कारावास के दण्ड को अपर्याप्त कर देता है और मृत्युदण्ड की अपेक्षा करता है ?

(ब) क्या अपराध की परिस्थितियों ऐसी है कि अल्पकारक परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी, जो अपराध के पक्ष में बोलती है, मृत्युदण्ड के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

172- मच्छी सिंह एवं बच्चन सिंह के प्रकरणो में जो गंभीर परिस्थितियाँ एवं शमनकारी परिस्थितियाँ बताई गई है वह निम्नानुसार है -

(1) हत्या, बलात्कार, सशस्त्र, डकैती, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों की कारित करने से संबंधित अपराध जिसमे मृत्युदण्डके लिए दोषसिद्धि का पूर्व इतिहास हो या गंभीर हमलों और आपराधिक दोषसिद्धि का पर्याप्त इतिहास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ।

(2) अपराध तब किया गया था जब अपराधी एक अन्य गंभीर अपराध को कारित करने में संलग्न था ।

(3) यह अपराध बड़े स्तर पर जनता में भय का माहौल पैदा करने के इरादे से किया गया था और एक हथियार या उपकरण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर किया गया था जो स्पष्ट रूप से एक से अधिक लोंगों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता था।

(4) हत्या या अपराध फिरौती के लिए किया गया था या पैसे या मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए अपराधों की तरह किया गया था।

(5) अनुबंध के अनुसार पैसा लेकर की गयी हत्यांए।

(6) यदि केवल इच्छा को पूरा करने के लिए अपमानजनक रीति से अपराध किया गया और अपराध के समय पीडित के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए यातना दी गयी।

(7) यदि अपराध एक व्यक्ति द्वारा विधिक अभिरक्षा में रहते हुए किया गया था।

(8) यदि हत्या या अपराध किसी व्यक्ति को विधिक रूप से अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए किया गया था जैसे कि वह किसी को अपनी अभिरक्षा में लेने वाला हो या किसी अन्य की अभिरक्षा में रखने वाला हो। उदाहरण के लिए द०प्र०सं० की धारा 43 के तहत अपने कर्तव्य के विधिक निर्वहन करने वाले व्यक्ति की हत्या की गयी हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) जब अपराध अनुपात में बहुत अधिक हो जैसे कि पूरे परिवार या किसी विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या का प्रयास करना।

(10) जब पीडित निर्दोष, असहाय या एक व्यक्ति रिश्ते और सामाजिक मानदंडों के विश्वास पर भरोसा करता है, जैसे कि एक बच्चा, असहाय महिला, एक बेटी या एक भतीजी पिता/चाचा के साथ रहती है और ऐसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है।

(11) जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती हो जो पूर्ण भ्रष्टता और नीचता का प्रमाण देता है।

(12) जब बिना उकसावे के निर्मम हत्या हो जाती है।

(13) अपराध इतनी क्रूरता से किया जाता है कि यह न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि समाज के विवेक को भी चुभता है या झकझोर देता है।

<u>शमनकारी परिस्थितियांः</u> -

(1) जिस तरीके और परिस्थितियों में अपराध किया गया था, उदाहरण के लिए सामान्य रूप से इन सभी स्थितियों की विपरीत

चरम अधिकतम मानसिक या भावनात्मक अशांति या अत्यधिक उकसावा।

(2) अभियुक्त की उम्र एक प्रासंगिक विचार है, लेकिन अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं है।

(3) अभियुक्त की पुनः अपराध में शामिल नहीं होने की संभावना और अभियुक्त के सुधरने और पुनर्वास की संभावना ।

(4) अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उस मानसिक दोष ने उसके आपराधिक आचरण की परिस्थितियों को समझने की उसकी क्षमता को कम कर दिया था।

(5) ऐसी परिस्थितियों जो जीवन के सामान्य क्रम में, इस तरह के व्यवहार को संभव बनाती है और उस स्थिति में मानसिक असंतुलन को जन्म देने का प्रभाव डाल सकती है जैसे कि लगातार उत्पीड़न जो वास्तव में अभियुक्त को मानव व्यवहार के ऐसे चरम पर ले जाता है कि मामलें के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्त का मानना था कि वह अपराध करने में नैतिक रूप से उचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) जहाँ साक्ष्य का उचित विवेचना करने पर न्यायालय का विचार है कि अपराध पूर्व निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था और मृत्यु के परिणामस्वरूप एक और अपराध हुआ और यह कि इसे प्राथमिक अपराध के परिणाम के रूप में माना जा सकता है।

(7) जहाँ एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह से असंरक्षित है , यद्यपि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को सिद्ध कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदण्ड लागू करने के लिए विचारण निम्नलिखित सिद्धांतो को संक्षेप में प्रस्तुत किया है -

(1) न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण लागू करना होगा कि क्या यह मृत्युदण्ड देने के लिए "विरलतम से विरल" (**Rarest of Rare Cases**) मामला था।

(2) न्यायालय की राय में , किसी भी अन्य दंड अर्थात आजीवन कारावास को लागू करना पुरी तरह से अपर्याप्त होगा और न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा।

(3) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदण्ड एक अपवाद है।

(4) अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुये आजीवन कारावास का दंड देने के विकल्प का सावधानीपूर्व क उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(5) वह रीति (योजनाबद्ध या अन्यथा) और तरीका (क्रूरता और अमानवीयता की सीमा, आदि) जिससे अपराध कारित किया गया था और वे परिस्थितियों जिनके कारण ऐसा जघन्य अपराध कारित हुआ।

173- मृत्युदण्ड के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत क्रिमिनल अपील क्रमांक-143/2007 "ओ एम ए उर्फ ओम प्रकाश एवं एक अन्य बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु "निर्णय दिनाँक 11/12/2012 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने "गुरूबख्श सिंह सिब्बा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब"(1980) एस०सी०सी० 565 को संदर्भित करते हुए पैरा 5 व 6 में निम्नानुसार अवलोकित किया है -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. न्यायाधीशों ने बहुमत में गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य[3] के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि उसमें की गई टिप्पणियाँ सजा देने के विवेक के क्षेत्र में मानकों को कम करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता पर उपयुक्त रूप से लागू होती हैं। गुरबख्श सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी किया था - "न्यायाधीशों को मामलों का फैसला उसी समय करना होता है जब वे उनके सामने आते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि भावनाओं और पूर्वाग्रहों को निर्णयों से दूर रखा जाए।"

6. शमनकारी परिस्थितियों से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश बताने के बाद, न्यायाधीशों ने अंततः इस प्रकार फैसला सुनाया-

"न्यायाधीशों को कभी भी खून के प्यासे नहीं होना चाहिए, हत्यारों को फांसी देना उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत तथ्य और आंकड़े, हालांकि अधूरे हैं, बताते हैं कि अतीत में, न्यायालयों ने बहुत कम बार चरम दंड लगाया है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि वे इतने गंभीर मामले में विवेक के साथ सजा सुनाते समय कितनी सावधानी और करुणा दिखाते हैं। इसलिए, यह चिंता व्यक्त करना अनिवार्य है कि न्यायालय हमारे

द्वारा बताए गए व्यापक उदाहरणात्मक दिशा-निर्देशों की सहायता से, धारा 354 (3) में उल्लिखित विधायी नीति के उच्च मार्ग के साथ निर्देशित और अधिक सावधानीपूर्वक देखभाल और मानवीय चिंता के साथ भारी कार्य का निर्वहन करेंगी। अर्थात हत्या के दोषी व्यक्तियों के लिए,आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। मानव गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता जीवन कानून के माध्यम से किसी की जान लेने के प्रतिरोध को दर्शाता है। ऐसा विरलतम मामलों को छोड़कर नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो जाता है।"

174- इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने "बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब" (1980) एस०सी०सी० 584"में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i) मृत्यु दंड की चरम सजा को केवल अत्यधिक दोषी के गंभीरतम मामलों में ही लगाया जाना चाहिए।

(ii) मृत्यु दंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराधी' की परिस्थितियों के साथ-साथ 'अपराध' की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

(iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्यु दंड एक अपवाद है, दूसरे शब्दों में मृत्यु दंड तभी लगाया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तरह से अपर्याप्त सजा प्रतीत हो, और बशर्ते कि आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाने का विकल्प अपराध की प्रकृति और अपराध की परिस्थितियाँ तथा सभी सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए विवेकपूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ।

(iv) गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियों के बैलेंस शीट को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प का प्रयोग करने से पहले गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियों बीच एक उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए।

"10. इसके बाद, न्यायालय ने कहा कि उक्त दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए, निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाने और उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है:-

(क) क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मृत्युदंड की मांग करता है?

(ख) क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में शमनकारी परिस्थितियों परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मृत्युदंड लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?"

175- इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने "हरेश मोहन दास राजपूत राजपूत महाराष्ट्र राज्य" निर्णय दिनांक 20-09-2011 उच्चतम न्यायालय में "विरलतम से विरल मामला" कब होता है, इस संबध में पैरा 14 में विवेचित किया गया है:-

"विरलतम से विरल मामला" तब आता है जब दोषी सौहार्द्र और समाज के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व लिए ख़तरा होगा। अपराध जघन्य या क्रूर हो सकता है लेकिन "विरलतम से विरल मामला" की श्रेणी में नहीं हो सकता है यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी का सुधार या पुनर्वास नहीं हो सकता और इसकी संभावना है वह हिंसा के आपराधिक कृत्य जारी रखें और वह समाज के लिए एक निरंतर खतरा बना हुआ है। अभियुक्त समाज के लिए खतरा हो सकता है और ऐसा ही बना रहेगा, जिससे समाज के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व को खतरा हो सकता है। जिस तरह से अपराध किया जाता है, वह ऐसा होना चाहिए कि इससे समुदाय में तीव्र और चरम संकेत मिले और समाज की सामूहिक चेतना को झटका लगे, जहां कोई अभियुक्त किसी तात्कालिक प्रकोपन पर कार्रवाई नहीं करता है और जानबूझकर योजनाबद्ध अपराध में लिप्त होता है और सावधानीपूर्वक सफाई देता है, ऐसे जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड सबसे उचित सजा हो सकती है। मृत्युदंड तब उचित हो सकता है जब पीड़ित मासूम बच्चे और असहाय महिलाएं हों। इस प्रकार, यदि अपराध सबसे क्रूर और अमानवीय तरीके से किया जाता है जो अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, बर्बरतापूर्ण और कायरतापूर्ण तरीका है, जहां उसका कृत्य समाज के संपूर्ण नैतिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, जैसे कि सत्ता के लिए किया गया अपराध राजनीतिक महत्वाकांक्षा या संगठित अपराध में लिप्त होना गतिविधियों के लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसी प्रकार उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायदृष्टांत छ0ग0विरुद्ध संदीप जैन दाण्डिक निर्देश क्रमांक-01/2023 दिनाक 01-12-2023, ए.आई.आर ऑनलाइन 2023 सी.एच.एच 835. आई.एल.आर 2024, छ0ग0 भाग दो 177 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध राम सोनी, सी.आर.सी/1517/2018 दिनांक 31-01-2020, छत्तीसगढ राज्य विरुद्ध शेख कोराम, दांडिक रिफ़रेंस नंबर 1/2021, अपील क्रमांक-1270/2021, निर्णय दिनांक 13-06-2022 अवलोकनीय है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्यायदृष्टांत सोनू सरदारबनाम छ0ग0 राज्य (2012)4 एस0सी0सी 97 (ए.आई.आर 2012 एस.सी 1480), रामनरेश और अन्य बनाम छ0ग0 राज्य ((2012) 4 एस.सी.सी 257 (ए.आई.आर 2012 एस.सी 1357) अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त प्रकरणों को भी उल्लेखित किया गया है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पंजाब राज्य प्राधिकरण मंजीत सिंह 2009 (14) एस.सी.सी 31 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह दोहराना आवश्यक है कि मृत्युदंड का चयन केवल सबसे दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए और तब तब अभियुक्त की अपराधशीलता अत्यंत गंभीर हो, या जब अभियुक्त को को समाज के लिए एक बड़ा खतरा या निर्दयी अपराधी पाया जाए या जहां अपराध एक संगठित तरीके से किया गया हो और वह भयावह निर्मम, जघन्य और अत्यंत बर्बर हो या जहां निर्दोष और अचेतन लोग पर बिना किसी उकसावे के हमला कर उनकी हत्या की जाती हो ।

दिलीप प्रेम नारायण तिवारी विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2010 (1) एस.सी सी 775 में माननीय उच्चतम न्यायालय के इस संबध में यह संप्रेक्षित किया है कि जहाँ अपराध बहुत सोचे समझे तरीके से अत्यंत क्रूरता एवं बर्बरता के साथ किए गए हों, वहाँ उचित दंड पर विचार करने के लिए अपराध की प्रकृति और गंभीरता ही महत्वपूर्ण है, न कि अपराधी। यदि एक अपराध के लिए उचित दंड नहीं दिया जाता है तो न सिर्फ प्रकरण के पीडित व्यक्ति के संबंध में बल्कि उस समाज के संबध में भी जिसके विरूद्ध अपराध किया गया है,न्यायालय अपने कर्तव्य के पूर्ति में विफल होती है। अपराध के

लिए निर्धारित दंड अप्रसांगिक नहीं होना चाहिए बल्कि उसे अपराध में किये गये क्रूरता और बर्बरता के अनुरूप और संगत होना चाहिए ।जिसके साथ अपराध किया गया है। अपराध की गंभीरता समाज की गंभीर निंदा को आकर्षित करता है और अपराधी के साथ इस प्रकार किये गये न्याय में समाज के उस पुकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए।

इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय इसी स्वरूप के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत शिवम विरूद्ध छ.ग. राज्य 1998(1) एस.सी.सी 149 में जिसमें तीन व्यक्तियो का सिर काटकर हत्या तथा एक10 वर्षीय बालक को जीवित आग में जलाया गया था, यह सम्प्रेक्षित किया है कि इसमें 4 लोगों की इस प्रकार से हत्या की गयी है, जो अत्यंत क्रूर, घातक और भयावक स्वरूप का है, जिसमें मानव गरिमा की पूरी तरह से अनदेखी की गयी है, किया गया अपराध पूर्व नियोजित था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपराध की जानकारी और परिस्थितियों के प्रकाश में मामले को दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी का पाते हुए उसमें मृत्युदण्ड दिया जाना उचित पाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हत्या जैसे गंभीर अपराध में एक उचित और न्यायपूर्ण सजा निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से अथवा उसके दुर्लभतम मामला होने के विनिश्चय हेतु अपराध की संपर्ण परिस्थितियों, उसमें अभियुक्त के आशय तथा अपराध की गंभीरता को प्रभावित करने वाले असीमित परिस्थितियों के प्रकाश में एक उचित और न्यायपूर्ण दंड निर्धारित करने में ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं है जो सभी मामलों में समान रूप से पिरोया जा सके, इसलिए इसके अभाव में प्रत्येक प्रकरण के तथ्य पर आधारित विवेक अनुसार निर्णय ही एकमात्र ऐसा तरीका है, जिसमें निर्णय अंतर्गत न्यायसंगत ढंग से दंड अवधारित किया जा सकता है।

इस प्रश्नाधीन सत्र प्रकरण में दर्शित हत्या की घटना,उसकी परिस्थितियां, अबोध, मासूम 4 वर्षीय बालक की हत्या, अभियुक्त के एकतरफा प्रेम एवं वासना की पूर्ति नहीं होने से क्षुब्ध होकर एक महिला के गरिमा के विपरीत उसे सबक सिखाए जाने के लिए उसके अबोध बालक की हत्या किया जाना तथा दोषसिद्ध अभियुक्त का

उपरोक्तानुसार हत्या की घटना योजनाबद्ध तरीके से किया जाना प्रस्तुत मामले का तथा इसमें की गयी हत्या की घटना का अत्यंत गंभीर, बर्बर तथा भयावह निर्मित करता है।

176- अभियुक्त की स्थिति उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में इस प्रकरण को देखा जावें तो अभियुक्त, मृतक हर्ष चेतन का पड़ोसी था, अभियुक्त, मृतक को अकसर मोटर सायकल में घूमाने ले जाता था,जिससे मृतक का अभियुक्त से न्यास एवं वैश्वासिक संबंध का था। मृतक हर्ष चेतन जो 4 वर्षीय अबोध बालक था, उसे अभियुक्त के द्वारा घुमाए जाने एवं खिलाने- पिलाने एवं बहलाने के कारण मृतक का लगाव होना और खुशी-खुशी अभियुक्त के साथ घटना दिनाँक को जाना स्वाभाविक था ।

वास्तव में अभियुक्त का मृतक के परिजन से किसी प्रकार का कोई पूर्व विवाद या रंजिश नहीं था, मात्र एकतरफा प्रेम एव वासना की पूर्ति नहीं होने के कारण मृतक हर्ष चेतन की माँ को सबक सिखाए जाने के लिए अपनी प्रतिरक्षा करने में असक्षम अबोध बालक का अपहरण, हत्या करने के आशय किया जाकर निर्दयता पूर्वक जीवित बच्चे के सिर पर टॉवेल लपेटकर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जलाकर हत्या करना व बच्चे के बचाव के चिल्लाने पर घटना स्थल से चले जाना, उसकी अपराधिकता निश्चित ही बर्बरता की पराकाष्ठा है ऐसे कृत्यों की मिसाल बहुत ही कम मिलती है इस नृशंस एवं हृदयहीन हत्या को धिक्कारने के लिये कड़े से कड़े शब्द भी कम पड़ेगे। अभियुक्त न तो विकृतचित है न ही मानसिक रोगी है। वह करीब 35 वर्ष का होकर बौद्धिकता से परिपक्व मस्तिष्क का है। वह अपने कृत्यों का परिणाम को समझा सकता था। उसके चेहरे पर घृणित कृत्य के लिए पश्चाताप के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते है। अपराध को कम करने वाली कोई परिसीमनकारी परिस्थिति खोजने के पश्चात भी नहीं पायी जाती है। अपराध का हेतुक , अपराध में की कुरता, अपराध करने का प्रकार, पक्षकारों के मध्य वैश्वासिक संबंध एवं न्यास की स्थिति, हर्ष चेतन का सर्वथा निर्दोष, असहाय एव निहत्था होना, अभियुक्त की प्रेरणा, मृतक की कमजोरी, अपराध की भयावहता एवं उसका निष्पादन से सभी तथ्य इस तथ्य एव परिस्थितियों इस प्रकरण को विरलतम से विरल अर्थात सर्वाधिक दुर्लभ मामला (**Rarest of Rare Cases**) बनाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसा बर्बरता पूर्ण व्यवहार जो कि अभियुक्त द्वारा वैश्वासिक संबंध की स्थिति में था उसका दोष अत्यधिक भृष्टता का अनुपात ग्रहण कर लेता है। अभियुक्त के कृत्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये उस समाज में जीने का अधिकार नहीं है तथा उनके साथ न्यायिक नम्रता की गई तो इसे न्यायिक पंगुता मानकर ऐसे अपराधी अपराध करने के लिये प्रोत्साहित होगे और तब इस समाज को विधि या कानून की मदद से चला पाना कठिन होगा । अभियुक्त सामाजिक, नैसगिंग विधि एवं नियम द्वारा अधिरोपित कर्तव्य का उचित रूप से पालन न किये जाने का दोषी होने के साथ साथ बर्बतरता पूर्ण अपराधिक कृत्य किये जाने का दोषी है। ऐसा विरलतम से विरल (**Rarest of Rare Cases**) कृत्य इस कारण अक्षम्य है क्योकि मात्र अभियुक्त के उक्त अपराधिक बर्बरता पूर्ण कृत्य के कारण 4 वर्षीय अबोध मासूम बालक की मृत्यु कारित करने का कोई कारण नहीं था, मात्र मृतक की माँ से एकतरफा प्रेम व वासना की पूर्ति का आशय एकपक्षीय था, मृतक हर्ष चेतन निर्दोष था, वह अपने मनुष्य के रूप में जन्म होने के कारण, मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीवन जीने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था वह प्राप्त नहीं कर सके और व असामयिक रूप से, मानवीय मूल्यों के विरुद्ध नृशंस तरीके से मृत्य को प्राप्त हुआ है। इन गंभीर कारको के विपरीत, अभियुक्त की उम्र भी कम करने वाला कारक नहीं है क्योकि वह 35 वर्ष का बौद्धिकता से परिपक्व मस्तिष्क का है, हॉलांकि जिस तरह से अपराध किया गया है, उसे देखते हुए ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं हुआ है कि अभियुक्त के पास जघन्य अपराध को किए जाने का कोई तत्कालिक कारणरहा हो, अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से घटना दिनाँक 05.04.2022 की सुबह प्लास्टिक के डिब्बे में पेट्रोल भरवाकर मोटर सायकल की डिक्की में टॉवेल और पेट्रोल को रखा गया तत्पश्चात प्रार्थिया पुष्पा चेतन के घर आकर प्रार्थिया के बचों को नाश्ता कराता हूँ, कहकर घूमाने ले गया। अल्प समय पश्चात प्रार्थिया के पुत्र दिव्यांश चेतन को वापस छोड़ा व मृतक हर्ष चेतन को पुनः हत्या करने से आशय से घूमाने लेकर गया। अभियुक्त ने हत्या की योजना उस दिन प्रातः से ही बनाकर रखा था, जिसकी तैयारी घटना कारित किए जाने के पूर्व की गई थी। घटना के बाद अभियुक्त फरार हो गया था, जिससे यह भी स्पष्ट दर्शित है कि अभियुक्त को अपने कार्य एव परिणाम की संपूर्ण जानकारी थी, उसके बाद उसने उसके द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्मित योजनानुसार मृतक हर्ष चेतन की घटना स्थल नेवनारा व अकोलीखार के मध्य सुनसान स्थान पर जहाँ मृतक के बचाव हेतु कोई उपस्थित नहीं था। असहाय एवं स्वयं की प्रतिरक्षा करने में असक्षम 4 वर्षीय बालक की बर्बरतापूर्वक पेट्रोल डालकर निर्दयतापूर्वक आग जलाकर हत्या की गई है। एक जीवित व्यक्ति को आग लगाए जाने पर जो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा सहनी पड़ेगी उसको शब्दो में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त द्वाराकारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त के द्वारा एक 4 वर्षीय अबोध बालक जो निहत्था, प्रतिरोधहीन, निर्दोष एवं प्रतिरक्षा करने में असहाय था, पूर्व नियोजित योजना बनाकर राक्षसी आक्रमण किया गया है। घटना दिनाँक को अभियुक्त ने संपूर्ण तैयारी कर ली थी अथार्त एक सोची समझी रणनीति थी। मच्छी सिंह एवं बच्चन सिंह के प्रकरण में अभिनिर्धारित की गई परिस्थितियाँ क्रमांक-10,11, 12, 13 इस प्रकरण में लागू होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

177- चिकित्सीय साक्षी डॉ. एम निराला (अ.सा.-12) के साक्ष्य के अनुसार मृतक के पूरे शरीर में दूसरे व तीसरे डिग्री के जले हुए घाव मौजूद होने तथा कुल जले हुए घाव का प्रतिशत 100 प्रतिशत होना पाया गया है तथा मृतक के शरीर पर उपस्थिति जले हुए घाव मृत्य के पूर्व के थे। मृतक के शरीर का पूरा भाग जला हुआ होने से मृतक हर्ष कुमार चेतन की मृत्यु जलने के कारण हत्यात्मक प्रकृति की थी। मृतक पाश्विक आक्रमण का विरोध करने की स्थिति में नहीं था। वास्तव में मृतक एक 4 वर्षीय बालक था, जिसकी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति से सहायता एवं रक्षा की अपेक्षा की जाती है। इसके विपरीत अभियुक्त के द्वारा अपने सामाजिक, नैसर्गिक विधि एव नियम के द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन न किए जाने का दोषी है। अभियुक्त पंचराम उर्फ मन्नू गेण्डरे के द्वारा अपने एक तरफा प्रेम संबध की असफलता का बदला प्रार्थिया पुष्पा के मासूम बच्चे को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर लिया गया है। 4 वर्षीय अबोध मासूम बच्चे के जंघन्य हत्या उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर की गई है। अभियुक्त के द्वारा किया गया हत्या का घिनौना कृत्य दिलदहला देने वाला मानवता को शर्मसार करने वाला एवं सामाजिक मूल्यों के साथ कुठाराघात करने वाला है।

सामाजिक परिवेश में इस तरह की घटना से जनमानस पर व्यापक प्रतिक्रिया परिलक्षित होकर अभियुक्त, समाज के लिए घातक है। इस प्रकार अभियुक्त के योजनाबद्ध तरीके से किए गए अपराध बर्बरतापूर्ण अपराधिक कृत्य से अभियुक्त में सुधार की कोई गुंजाईश नहीं है एव वह पुनः मानव समाज में शामिल होने के लायक नहीं है। इस प्रकरण में अभियुक्त को मृत्यु दंड कारित करना ही समाज के हित एवं मानव जीवन की सुरक्षा हेतु उपयुक्त होगा ।

178- अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों एवं उभयपक्षों के तर्कों पर गहराई से मनन करने के उपरांत उपरोक्त लेखबद्ध कारणों से अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा को आरोपित करने के निवेदन को अस्वीकार किया जाता है। प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया है, किन्तु अभियुक्त के द्वारा अवयस्क मृतक हर्ष कुमार चेतन को उसके संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता में से बहलाकर उसका व्यपहरण कर हत्या किए जाने के आशय से उसे टॉवेल से लपेटकर तथा उसके ऊपर सिर से पेट्रोल डाला और माचिस से उस पर आग लगाकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या कारित किए जाने के अपराध में दोषी पाया गया है। अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं है। दण्ड विधि का उद्देश्य न केवल अपराध को दंडित करना है अपितु संविधान द्वारा निर्मित विधि के प्रति समाज में आस्था को अक्षुण्ण बनाए रखना है तथा दण्ड के माध्यम से समाज में अपराध की पुनरावृत्ति को कड़ाई से रोकना भी है। अभियुक्त पंचराम उर्फ मन्नू गेण्डरे के उक्त क्रूरतम आपराधिक कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त पंचराम उर्फ मन्नू गेण्डरे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 363, 364, 302 के अपराध के आरोप में दंडित किया है। ”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

81. इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता है कि,

(1) विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया था और उसी दिन मृत्युदंड अधिरोपित किया था।

(2) विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार नहीं किया है;

(3) विचारण न्यायालय ने केवल अपराध और जिस तरह से यह किया गया था, उस पर विचार किया है और उसने अपराधी की मानसिक स्थिति और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर विचार नहीं किया है;

(4) विचारण न्यायालय ने दंड के प्रश्न पर अपीलार्थी को सुनवाई का कोई प्रभावी अवसर नहीं दिया है; जैसा कि मोहम्मद मन्नान (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था और

(5) इसी तरह, अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि दोषी को जेल में उसके आचरण के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करके सुधारा या पुनर्वासित नहीं किया जा सकता है, और अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है जैसा कि राजेंद्र प्रहलाद राव वासनिक (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

82. हमें वर्तमान मामले में उपर्युक्त सभी सिद्धांतों को लागू करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को मृत्युदंड दिया जाना और मृत्युदंड की पुष्टि हेतु भेजना उचित है ?

83. वर्तमान मामले में, मृतक जिसकी आयु लगभग 4 वर्ष थी, अपीलार्थी का पड़ोसी था। दिनाँक 05.04.2022 को, अपीलार्थी नाबालिग लड़के/मृतक को घुमाने के बहाने से अपनी मोटरसाइकिल से ले गया। अपीलार्थी ने मृतक पर पेट्रोल डालकर निर्मम हत्या कर दिया और उसके बाद अपीलार्थी ने अपनी मोटरसाइकिल करंजा,भिलाई में किरण साहू को बेच दिया और नागपुर चला गया। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा हत्या का अपराध किया गया। अपीलार्थी का बर्बर कृत्य न केवल अमानवीय था, बल्कि अत्यंत चौंकाने वाला और क्रूर था।

84. अपराध करने के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 35 वर्ष थी। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उसने 4 वर्षीय बालक की हत्या का अपराध किया है। उसने उसकी निर्मम हत्या कारित किया है, जो उसके कृत्य को पूरी तरह से बर्बर और निंदनीय बनाता है, इस प्रकार अपीलार्थी ने एक निर्दोष, नाबालिग और असहाय बालक जिसकी आयु 5 वर्ष भी नहीं थी, के विरुद्ध अपराध किया है।

85. अपराध परीक्षण पर विचार करने के पश्चात, मामला विरलतम से विरल परीक्षण में आता है, इसका परीक्षण करना है। अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, प्रश्न यह होगा कि क्या यह विरलतम से विरल मामला है तथा क्या दिये गये मृत्युदंड की पुष्टि की जानी चाहिए?

86. अपीलार्थी एक युवा व्यक्ति था, अपराध कारित करने के समय उसकी आयु लगभग 35 वर्ष थी। वह बेमेतरा जिले के हसदा गांव का निवासी है, जो बेमेतरा जिले का सुदूर गांव है। अभियोजन ने अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो कि सुधार और पुनर्वास के संबंध में कोई संभावना नहीं है तथा यहां तक कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भी अपीलार्थी को मृत्युदंड देते समय इस पहलू पर विचार नहीं किया है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक पृष्ठ्भूमि नहीं है, यद्यपि उसने एक अपराध किया है, जो कि जघन्य है। इस स्तर पर, हमें जॉन एफ कैनेडी की कही बात याद आती है कि "बच्चे दुनिया के सबसे मूल्यवान संसाधन हैं और भविष्य के लिए सबसे अच्छी उम्मीद हैं"। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अभाव में कि अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास के संबंध में कोई संभावना नहीं है क्योंकि जब उसने अपराध किया,वह युवा था और वह समाज या समुदाय के लिए खतरा या धमकी या खतरा होने की संभावना नहीं है, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह भविष्य में इसी तरह के अपराध को दोहराएगा अमित (पूर्वोक्त), संतोष कुमार सिंह (पूर्वोक्त), रमेश भाई चंदू भाई राठौड़ (पूर्वोक्त) और लोचन श्रीवास (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का पालन करते हुए, जिसमें अभियुक्त की कम उम्र को देखते हुए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, उपरोक्त पर विचार करते हुये, हमारा मानना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार मृत्यु दंड की कठोर सजा उचित नहीं है। हमारा मानना है कि यह विरलतम से विरल मामला नहीं है जिसमें मृत्यु दंड की कठोर सजा की पुष्टि की जानी है। हमारे विचार से, आजीवन कारावास पूरी तरह से पर्याप्त होगा और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। हम मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने का निर्देश देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि आजीवन कारावास का दंडादेश अपीलार्थी पंचराम @ मन्नू गेन्द्रे के संपूर्ण प्राकृतिक जीवन तक होगा।

87. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी पंचराम उर्फ मन्नू गेन्द्रे को मृत्यु दंड दिए जाने की पुष्टि हेतु सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा प्रस्तुत दांडिक निर्देश क्रमांक- 2/2024 को अस्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

88. अपीलार्थी पंचराम उर्फ मन्नू गेन्द्रे की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 151/2025 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को यथावत रखा जाता है। हालांकि, जुर्माना राशि को बरकरार रखते हुए उसकी मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाता है। हम आगे निर्देश देते हैं कि आजीवन कारावास की सजा अपीलार्थी के संपूर्ण प्राकृतिक जीवन की अवधि तक होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 364 के तहत अपीलार्थी को दिये गये दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की जाती है। सभी सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया जाता है।

89. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को, जहां अपीलार्थी कारावास की सजा भुगत रहा है, भेजे, ताकि अपीलार्थी को यह सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

90. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 371 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 412) के तहत संबंधित विचारण न्यायालय को इस निर्णय की विधिवत सत्यापित प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे।

91. इस निर्णय की एक प्रति और प्रकरण से संबंधित मूल अभिलेख को आवश्यक सूचना और अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित किया जाए।

सही /-	सही /-
(रविन्द्र कुमार अग्रवाल)	(रमेश सिन्हा)
न्यायाधीश	मुख्य न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur